पीबीएक्स 0522–4151200
फैक्स 0522–2629284
ई.मेल upcb.bkg@upscb.com

पत्रांक : बैंकिंग / एफ–283 / 2023– 24 / 580

दिनांक : 22 फरवरी, 2024

उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि.
मुख्यालय, 2–महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

शाखा प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक,
उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0,
समस्त शाखायें,
उत्तर प्रदेश।

**विषय : बैंक में कॉम्प्रोमाईस सेटेलमेण्ट पालिसी लागू करने के सम्बन्ध में।**

मुख्यालय के कार्यालय–ज्ञाप सं0–बैंकिंग / एफ–283 / 2023–24 / पी0बी0–220, दिनांक–28.07.2023 के माध्यम से गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत कॉम्प्रोमाईस सेटेलमेण्ट पालिसी प्रबन्ध समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी थी, तत्पश्चात बैंक की प्रबन्ध समिति की बैठक दिनांक–13.02.2024 में पारित प्रस्ताव सं0–14 में सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मिति से लिये गये निर्णय के क्रम में कॉम्प्रोमाईस सेटेमेण्ट पालिसी निम्नवत बैंक में लागू की जाती है :–

U.P. Co-operative Banking Section Lucknow

# UTTAR PRADESH COOPERATIVE BANK

## POLICY ON ADVANCE ACCOUNTS – "COMPROMISE SETTLEMENTS"

U.P. Co-op. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| **1. BACKGROUND**<br>The Reserve Bank of India on time to time has issued Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets in year 2019 but the provisions were not applicable for co-operative sector Banks. Statement on Developmental and Regulatory Policies released by RBI on June 8, 2023, has decided to issue a comprehensive regulatory framework governing compromise settlements and technical write-offs covering all the regulatory entities including co-operative sector Bank too to address the stressed assets with ease.<br>The subject matter previously was dwelt under overall guidance and supervision of The Registrar and Commissioner of Societies , the supervisor for cooperative sector under state cooperative act .All though income recognition and asset classification norms are equally applicable for cooperative banks since long but Cooperative Bank although are being managed by well elected Board of Directors but not at liberty to compromise / write off even those assets backed with 100 % provisions where prospects of further recovery is much bleak and much expensive in nature resulted a very high percent of gross NPA in the balance sheet. | **1.पृष्ठभूमि**<br>भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019 से समय–समय पर तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क जारी किया है, लेकिन सहकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए उक्त प्रावधान लागू नहीं थे। 8 जून, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को आसानी से समाहित करने के लिए सहकारी क्षेत्र के बैंक सहित सभी नियामक संस्थाओं को शामिल करते हुए समझौता निपटान और तकनीकी राइट–ऑफ को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक नियामक ढांचा जारी करने का निर्णय लिया गया है। यह विषय पहले राज्य सहकारी अधिनियम के तहत सहकारी क्षेत्र के पर्यवेक्षक, आयुक्त एवं निबन्धक के समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत रखा गया था। आय के अभिज्ञान एवं आस्तियों का वर्गीकरण के मानदंड लंबे समय से सहकारी बैंकों के लिए समान रूप से लागू थें। सहकारी बैंक निर्वाचित निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं, लेकिन 100 प्रतिशत प्रावधानों के साथ समर्थित उन परिसंपत्तियों से भी समझौता करने की स्वतंत्रता नहीं है, जहां आगे की वसूली की संभावनाएं बहुत ही कम और महंगी प्रकृति की हैं, जिसके परिणामस्वरूप बैलेंस शीट में सकल एनपीए का प्रतिशत अधिक दर्शित होता है। |
| The policy is in line with the circular issued by The Reserve Bank of India dated 08.06.2023 | यह नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्गत परिपत्र दिनांक–06.06.2023 के अनुरूप है। |
| 2- **When to Compromise**<br>Normally compromise proposals can be examined / considered in following situations:<br>I. When the branch feels that the time taken and cost involved in recovering the dues through the process of filing a suit and | 2- **समझौता कब करना है**<br>आम तौर पर निम्नलिखित स्थितियों में समझौता प्रस्तावों की जांच/विचार किया जा सकता है:<br>1– जब शाखा को लगता है कि मुकदमा दायर करने और डिक्री निष्पादित करने की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया राशि की वसूली |

| | |
|---|---|
| executing the decree will be more than the likely recovery to be effected.<br><br>II. When a unit is suffering chronic problems of production, sales etc. and it has become unviable to continue operations and borrowers verifiable means/resources as well as securities are not adequate.<br><br>III. When the borrower is willing to settle the dues in full in a lump sum and the sacrifice of the bank is minimum considering the time value of money in recovery through present time consuming and costly legal system.<br><br>IV. When there is no security available, unit is closed and there are no assets for execution of decree and the borrower/ guarantor is willing to settle the dues on his own will. | में लगने वाला समय और लागत, वसूली की संभावित वसूली से अधिक होगी।<br><br>2- जब एक इकाई उत्पादन, बिक्री आदि की गंभीर समस्याओं से जूझ रही हो और परिचालन जारी रखना अव्यावहारिक हो गया हो और उधारकर्ताओं के सत्यापन योग्य साधनों/संसाधनों के साथ-साथ प्रतिभूतियां भी पर्याप्त न हों।<br><br>3- जब उधारकर्ता एकमुश्त बकाया राशि का पूरा निपटान करने के लिए तैयार हो और वर्तमान समय लेने वाली और महंगी कानूनी प्रणाली के माध्यम से वसूली में धन के समय मूल्य को देखते हुए बैंक का बलिदान न्यूनतम हो।<br><br>4- जब कोई प्रतिभूति उपलब्ध नहीं हो, यूनिट बंद हो गयी हो और डिक्री के निष्पादन के लिए कोई संपति न हो और उधारकर्ता/गारंटर अपनी मर्जी से बकाया राशि का निपटान करने के लिए तैयार हो । |
| **3- When not to Compromise**<br><br>Bank will not, in general, enter into a compromise in following cases:<br><br>i) When there are adequate securities available covering Bank's dues and are properly charged to the bank.<br><br>ii) When the account is covered by guarantee cover of CGTMSE(Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) etc and adequate securities are available to cover the balance amount. | 3- समझौता कब नहीं करना चाहिए<br>सामान्य तौर पर, बैंक को निम्नलिखित मामलों में समझौता नहीं करना चाहिए:<br><br>i) जब बैंक बकाये को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियां उपलब्ध हों और बैंक के पक्ष में बन्धक हो।<br><br>(ii) जब खाता CGTMSE (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) आदि के गारंटी कवर द्वारा कवर किया गया हो और शेष राशि को कवर करने के लिए पर्याप्त प्रतिभूतियां उपलब्ध हों। |

| | |
|---|---|
| **4. When to entertain compromise proposals**<br>(i) Compromise proposals can be negotiated in all NPA accounts,<br><br>(a) Before filing the suit<br>(b) After filing the suit<br>(c) After obtaining the decree<br><br>(d) Before execution of the decree<br><br>(e) Even after the account is written-off prudentially for Balance Sheet purpose.<br>In other words, compromise proposals can be entertained at any time till the borrower settles the dues in full. | 4- समझौता प्रस्तावों पर विचार कब करना है<br>(i) सभी गैर निष्पादित (एनपीए) खातों में समझौता प्रस्तावों पर बातचीत की जा सकती है,<br>(a) मुकदमा दायर करने से पहले<br>(b) मुकदमा दायर करने के बाद<br>(c) डिक्री प्राप्त करने के बाद<br>(d) डिक्री के निष्पादन से पहले<br>(e) बैलेंस शीट के उद्देश्य से खाते को विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डालने के बाद भी।<br>दूसरे शब्दों में, समझौता प्रस्तावों पर किसी भी समय विचार किया जा सकता है, जब तक कि उधारकर्ता बकाया राशि का पूरा निपटान नहीं कर लेता। |
| **5- GUIDING FACTORS FOR COMPROMISE**<br>(i) While negotiating a compromise settlement various factors have to be kept in mind, which are listed as under:<br><br>(a) Book debts Dues for recovery: This is the sum total of balances outstanding in the various accounts of the borrower and which are due for recovery from him. It will include balance outstanding in Term Loan, Cash Credit, etc. balance outstanding in G/L Interest Suspense a/c, Amount of Legal Expenses etc. already incurred and debited to any G/L a/c. Further bad and doubtful debts also will be scrutinized properly and due consideration will be made as per provision held therefor.<br><br>(b) Margin money and recoveries held separately: The book dues as above will be reduced to the extent of Margin money etc. kept in current a/c, Time Deposit a/c or any G/L a/c and the recoveries kept separately in any account or claims received from CGTMSE(Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) etc. | **5. समझौता करने के लिए मार्गदर्शक कारक**<br>(i) समझौता निपटान करते समय विभिन्न कारकों को ध्यान में रखना चाहिए, जिन्हें निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:<br>(a) **वसूली हेतु बुक डेब्ट ड्यू** : यह उधारकर्ता के विभिन्न खातों में बकाया राशि का कुल योग है और जो उससे वसूली के लिए देय हैं। इसमें टर्म लोन, कैश क्रेडिट, आदि में बकाया राशि, किसी भी जी/एल खाते में पहले से डेबिट किए गए कानूनी खर्चों की राशि आदि शामिल होगी। बैड और डाउटफुल ऋण को प्रॉपर्ली स्क्रूटनाईज किया जायेगा तथा उनको नियमानुसार कन्सीडर किया जायेगा।<br><br>(b) **मार्जिन मनी और वसूली अलग–अलग** : उपरोक्त बही की बकाया धनराशि को चालू खाते, टाइम डिपॉजिट एकाउन्ट या किसी जी/एल खाते में रखे मार्जिन मनी की सीमा तक कम किया जाएगा और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड |

U.P. Cooperative Bank Banking Sector Lucknow

| | |
|---|---|
| | ट्रस्ट) आदि से प्राप्त किसी भी खाते या दावों में अलग से रखी गई वसूली को कम किया जाएगा। |
| (c) **Realizable value of security**: The nature and realisable value of securities available is an important factor to be considered while arriving at a compromise. If the securities are adequate and easily realisable, the sacrifice in the compromise should be minimum. However, mere value of security would be of no use, unless it can be sold and proceeds realised within a reasonable time. Pending litigation, tenancy rights, succession cases etc. may prevent quick sale of properties. Resiable value of security should be assessed after future expenditure on sale of such security as well as text liabilities (GST if any) | (c) **प्रतिभूति का वास्तविक मूल्य** : किसी समझौते पर पहुंचने के दौरान उपलब्ध प्रतिभूतियों की प्रकृति और वास्तविक मूल्य पर विचार किया जाना एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि प्रतिभूतियां पर्याप्त और आसानी से वसूली योग्य हैं, तो समझौते में बलिदान/त्याग न्यूनतम होना चाहिए। हालांकि, प्रतिभूति का मात्र मूल्य किसी काम का नहीं होगा, जब तक कि इसे विक्रय न किया जा सके और उचित समय के भीतर आय प्राप्त न की जा सके। लंबित मुकदमेबाजी, किरायेदारी के अधिकार, उत्तराधिकार के मामले आदि संपत्तियों की त्वरित बिक्री को रोक सकते हैं। प्रतिभूति की रियलाईजेबुल वैल्यू का आंकलन बिकी करने पर भविष्य में होने वाले एक्सपंडीचर एवं टैक्स देयताओं (जीएसटी यदि कोई हों) के आधार पर की जानी चाहिए। |
| (d) **Reasons for failure of business**: Reason for the failure of business or the unit is also an important point to be kept in mind. Sometimes, a change in Government guidelines and policies may be the cause of the failure of the unit. Sometimes, it can be due to mismanagement and willful neglect by the borrower. | (**d**) **व्यवसाय की विफलता के कारण** : व्यवसाय या यूनिट की विफलता का कारण भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। कभी–कभी, सरकार के दिशानिर्देशों और नीतियों में बदलाव यूनिट की विफलता का कारण हो सकता है। कभी–कभी, यह कुप्रबंधन और उधारकर्ता द्वारा जानबूझकर की गई उपेक्षा के कारण हो सकता है। |
| (e) **Present status of the unit:** If the unit is running and prospects are good and bank has not lost trust in borrowers conduct and dealings, it would be worthwhile to consider possibility to rehabilitate the Unit with the concurrence of Head Office under approved guidelines of Board of Director. If, however, the unit is closed and prospects are bleak, it would be better to compromise and recover the dues to the maximum. | **(e) यूनिट की वर्तमान स्थिति**: यदि यूनिट चल रही है और संभावनाएं अच्छी हैं और बैंक ने उधारकर्ताओं के आचरण और व्यवहार पर भरोसा नहीं खोया है, तो उनके पुनर्वास की संभावना पर निदेशक मंडल के स्वीकृत दिशा निर्देशों के तहत प्रधान कार्यालय को ऐसी इकाई पर विचार करना चाहिए। हालांकि, यदि यूनिट बंद है और संभावनाएं धूमिल हैं, तो बेहतर होगा कि समझौता किया जाए और बकाया राशि की अधिकतम वसूली की जाए। |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| (f) **Means of borrowers/guarantors**: Present means of the borrowers, guarantors etc. will also have a bearing on the compromise settlement.<br><br>(g) **Amount of compromise and mode of payment**: The amount of payment to be received in compromise and the time period for receiving such a payment will also influence the terms of compromise. Bank would like to receive the maximum amount within the shortest possible time. i.e. 3 Months.<br><br>(h) **Impact on Profit & Loss Account**: In accounts which are already written-off or full provision has been made because of nil or negligible security any recovery effected through a compromise would increase the income by credit of such recovery to P/L account or reduction in provision. | **(f) उधारकर्ताओं/गारंटरों के संसाधन** : उधारकर्ताओं, गारंटरों आदि के वर्तमान संसाधनों का भी समझौता निपटान पर असर पड़ेगा।<br>**(g) समझौते की राशि और भुगतान का तरीका** : समझौते में प्राप्त होने वाली भुगतान की राशि और इस तरह के भुगतान को प्राप्त करने की समय अवधि भी समझौते की शर्तों को प्रभावित करेगी। बैंक कम से कम समय में अधिकतम धनराशि प्राप्त करना चाहेगा, जैसा कि 03 महीने।<br><br>**(h) लाभ और हानि खाते पर प्रभाव**: जिन खातों को पहले से ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है या शून्य या नगण्य प्रतिभूति के कारण पूर्ण प्रावधान किया गया है, उनमें समझौते के माध्यम से की गई किसी भी वसूली से ऐसी वसूली के पीएल खाते में जमा होने या प्रावधान में कमी से आय में वृद्धि होगी। |
| (ii) **The following points may also be kept in mind**: Compromise negotiation shall not fly around book dues. Interest at contracted rate shall be calculated and the total dues (including expenses incurred on filing the suit in the case of suit filed accounts), shall be advised to the borrower. Negotiation shall start from such total/gross dues owed by the borrower. Depending on the security available, borrower's/guarantor's assets/resources etc. concessions can be allowed on the rate of interest and/or compounding of interest. Minimum interest that is acceptable to the bank is 10% p.a., simple, are contracted rate (calculated as simple rate) which ever is lower from the date of NPA till the date of repayment. | ii) **निम्नलिखित बातों को भी ध्यान में रखा जा सकता है:**<br>समझौता वार्ता बही की बकाया राशि तक ही सीमित नहीं रहेगी। अनुबंधित दर पर ब्याज की गणना की जाएगी और कुल बकाया राशि (मुकदमा दायर खातों के मामले में मुकदमा दायर करने पर किए गए खर्च सहित), उधारकर्ता को सूचित किया जायेगा। उधारकर्ता से बकाया ऐसे कुल सकल बकाये से मोलभाव शुरू किया जाएगा। उपलब्ध प्रतिभूति उधारकर्ता/गारंटर की परिसंपत्ति/संसाधन आदि के आधार पर साधारण ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज पर रियायतें दी जा सकती हैं। न्यूनतम ब्याज दर जो बैंक को स्वीकार्य है, वह 10 प्रतिशत साधारण ब्याज दर होगी, या कान्ट्रैक्ट किये गये ब्याजदर (ब्याज साधारण दर से आगणित किया जायेगा) जो भी कम हो, के अनुसार ली जायेगी। जो एनपीए की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक देय होगी। |

Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| **(iii) Period of Recovery:**<br>As a matter of principle, compromise settlement shall be negotiated for bullet payment i.e. within 30 days of advising sanction. Based on the circumstances, time can be allowed upto 90 days payable in 2-3 installments (with a down payment of at least 15%) carrying interest at a minimum rate of 10% p.a. simple. In exceptional cases where the cash flow does not permit or assets will take time to be sold and realised, a maximum period of 12 months may be permitted by managment comittee of the bank. In such cases, a down payment of at least 15% shall be stipulated with monthly installments carrying simple interest at a rate not lower than 10% p.a. In the case of large compromise proposals with compromise amount above Rs.1/- Crore, time beyond 12 months may be permitted with down payment of at least 15% and remaining amount in monthly/quarterly/half yearly installments. Such installments must carry simple interest at a rate not lower than 10% p.a. simple. | (iii) रिकवरी की अवधि:<br>सैद्धांतिक रूप से, बुलेट भुगतान के लिए समझौता निपटान पर बातचीत की जाएगी अर्थात स्वीकृति देने के 30 दिनों के भीतर। परिस्थितियों के आधार पर, साधारण 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की न्यूनतम ब्याज दर पर ब्याज सहित 2–3 किस्तों (कम से कम 15 प्रतिशत के डाउन पेमेंट के साथ) में देय 90 दिनों तक का समय दिया जा सकता है। ऐसे असाधारण मामलों में जहां नकदी प्रवाह नहीं है या परिसंपत्तियों को बेचने और प्राप्त होने में समय लगेगा, (प्रबन्ध समिति की अनुमति से) अधिकतम 12 महीनों की अवधि की अनुमति दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, कम से कम 15 प्रतिशत का डाउन पेमेंट निर्धारित किया जाएगा, जिसमें मासिक किश्तों में 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा। रु. 1.00 करोड़ से अधिक की समझौता राशि वाले बड़े समझौता प्रस्तावों के मामले में, 12 महीने से अधिक के समय की अनुमति दी जा सकती है, जिसमें कम से कम 15 प्रतिशत का डाउन पेमेंट और शेष राशि मासिक / तिमाही / अर्धवार्षिक किश्तों में दी जा सकती है। ऐसी किस्तों पर साधारण ब्याज की दर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष से कम नहीं होगी। |
| 6. **STEPS TO BE TAKEN UNDER COMPROMISE SETTLEMENTS** Negotiating a compromise settlement has to be a well planned exercise and, therefore, requires a systematic approach. Branches may adopt the following approach in negotiating a compromise settlement, carefully clarifying to borrower/guarantor amply in the presence of more than one officer/s that the discussion is without prejudice and without any commitment till decision of appropriate sanctioning authority is received.<br><br>(i) **Thorough study of the individual account:**<br>(a) The first step in a thorough and detailed study of the borrowers account, file and the documents. This will throw a lot of light on the various appraisal aspects | 6. **"समझौता निपटान" के तहत उठाए जाने वाले कदम**<br>समझौते के निपटारे पर बातचीत करना एक सुनियोजित अभ्यास होना चाहिए और इसलिए, इसके लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। शाखाएँ समझौता निपटान के लिए बातचीत करने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपना सकती हैं, एक से अधिक अधिकारियों की उपस्थिति में उधारकर्ता / गारंटर को सावधानीपूर्वक स्पष्ट कर सकती हैं कि जब तक उचित स्वीकृति प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त नहीं हो जाता तब तक चर्चा बिना किसी पूर्वाग्रह के और बिना किसी प्रतिबद्धता के होती है।<br><br>(i) व्यक्तिगत खाते का संपूर्ण अध्ययन:<br>(a) 'समझौता' में पहला कदम उधारकर्ता के खाते, फाइल और दस्तावेजों का गहन और विस्तृत अध्ययन है। यह खाते की मंजूरी, संवितरण और फॉलो–अप |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| of sanction, disbursement and follow-up of the account. This will also enable the branch to know about the borrower, his credit worthiness, his assets, true reasons. | के विभिन्न मूल्यांकन पहलुओं पर बहुत प्रकाश डालेगा। इससे शाखा को उधारकर्ता, उसकी क्रेडिट योग्यता, उसकी संपत्ति, सही कारणों के बारे में भी पता चल सकेगा। |
| (b) The study as above will also enable the branch to decide whether recovery is possible without compromise or not. | (b) उपरोक्त अध्ययन शाखा को यह तय करने में भी सक्षम करेगा कि समझौता किए बिना वसूली संभव है या नहीं। |
| (ii) Computation of Book Dues and Unapplied Dues:<br>(a) The next step is the computation of Book dues as on date and also the unapplied interest and other charges which have become due, but have not been debited to party account. This is a very important step, as it forms the basis for arriving at the sacrifice we may have to make, if we compromise a part of such interest and charges not debited. | **(ii) बही बकाया और अप्रयुक्त बकाया राशि की गणना:**<br>(a) अगला चरण तारीख के अनुसार बही की बकाया राशि की गणना और साथ ही लागू न किए गए ब्याज और अन्य शुल्कों की गणना करना है, जो देय हो गए हैं, लेकिन पार्टी के खाते में डेबिट नहीं किए गए हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह उस बलिदान/त्याग पर पहुंचने का आधार बनता है, जो हमें करना पड़ सकता है, अगर हम ऐसे ब्याज के एक हिस्से से समझौता करते हैं और शुल्क डेबिट नहीं किए जाते हैं। |
| (b) Branches will ensure that unapplied interest is computed at appropriate rates as per terms of sanction/ documents and all other dues are also included. A proper computation sheet may be prepared and kept in the file. | (b) शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण स्वीकृति दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार उचित दरों पर लागू न किए गये ब्याज की गणना की जाए और अन्य सभी बकाया राशि भी इसमें शामिल हों। एक उचित गणना पत्रक तैयार किया जाय और उसे फाइल में रखा जाय। |
| **(iii) Valuation of Securities:**<br>If securities are available, its realistic latest valuation should be got done and kept on record. This will also help in the decision making process if sacrifice is required to be made. | **(iii) प्रतिभूतियों का मूल्यांकन:**<br>यदि प्रतिभूतियां उपलब्ध हैं, तो इसका वास्तविक नवीनतम मूल्यांकन प्राप्त किया जाना चाहिए और रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। यदि बलिदान/त्याग की आवश्यकता हो तो इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी मदद मिलेगी। |
| • The valuation of properties including collaterals accepted for the purpose of advances to be done as per policy/circular of the bank. | ▪ बैंक की स्वीकृत पॉलिसी/परिपत्र के अनुसार किए जाने वाले अग्रिमों के उद्देश्य से स्वीकृत कोलेट्रल सहित संपत्तियों का मूल्यांकन। |

U.P. Co-operative Banks Ltd. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| • The valuation should be done by professionally qualified valuers i.e. the valuer should not have a direct or indirect interest. | मूल्यांकन पेशेवर रूप से योग्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए अर्थात मूल्यांकनकर्ता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित नहीं होना चाहिए। |
| • Branches should obtain minimum two independent valuation Reports for properties valued at Rs.1 crores or above. | ▪ शाखाओं को रु. 1 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की संपत्तियों के लिए न्यूनतम दो स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करनी चाहिए। |
| • Branches will value the property by approved valuers of Bank. | ▪ बैंक की शाखाएं अनुमोदित वैल्युवर्स से सम्पत्ति की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करेगीं। |
| (iv) Ascertain the Net Worth of Borrowers and Guarantors by discreet credit investigation through market sources, introducer or well-wishers in the area of operation. This is required to improve the negotiating power while arriving at the compromise amount. | (iv) शाखायें अपने परिचालन के क्षेत्र के ऋणी और गारण्टर का ऋण अन्वेषण बाजारीय स्रोतों, परिचयकर्ता या बैंक के शुभचिंतकों के माध्यम से करेगीं। उक्त की आवश्यकता ऋणी से बातचीत की सम्भावनाओं को बढ़ाते हुए (निगोशियेशन कर) समझौते की धनराशि निर्धारित करने के लिए होती है। |
| **(v) Meeting and Discussion with the borrower:**<br>(a) The most important step in the compromise process is the meeting or negotiations with the borrower/ guarantor. This gives an opportunity for the bank to understand the borrowers position and thereby enable us to frame our strategies. The following points may be kept in mind while negotiating for a compromise: | (v) **उधारकर्ता के साथ बैठक और चर्चा:**<br>(a) समझौता की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कदम उधारकर्ता / गारंटर के साथ बैठक कर बातचीत करना है। इससे बैंक को उधारकर्ता की स्थिति को समझने का अवसर प्राप्त होगा तथा बैंक अपनी रणनीतियों को तैयार करने में सक्षम होगा। समझौते के लिए बातचीत करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जा सकता है: |
| i) Discuss the issue with the borrower in a friendly atmosphere in the presence of at least one or more Executive/Officer of the Bank. | (i) बैंक कम से कम एक या अधिक अधिकारी की उपस्थिति में मैत्रीपूर्ण माहौल में उधारकर्ता के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेगा। |
| ii) Try to listen to him patiently and understand his feelings. | (ii) धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनने और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| iii) Do not get emotional and resort to irrational outbursts.<br>iv) Do not make any commitment either orally or in writing till it is approved by competent authority and clarify so more than once to borrower /guarantor.<br><br>v) In case a borrower or guarantor tries to quote some other account compromised by the Bank at same branch or elsewhere, please impress upon him nicely that no two cases can be identical and discourage such discussion as Bankers are not supposed to talk about some other customer account or repayment.<br><br>(b) Once the discussions are over and an agreement is reached which is in tune with the guidelines of the bank, obtain a written request from the borrower for compromise clearly indicating the amount of compromise, terms of payment, interest for late payment, source of funds etc. The written proposal, should also include a default clause, whereby the bank would reserve the right to proceed legally or otherwise against the borrower in case of borrower failure to meet the terms of compromise, if approved by Bank competent authority. | (iii) भावुक न होना और तर्कहीन बातों का सहारा न लें।<br>(iv) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक मौखिक रूप से या लिखित रूप में कोई भी प्रतिबद्धता न करें और उधारकर्ता / गारंटर को एक से अधिक बार स्पष्टीकरण दें।<br>(v) यदि कोई उधारकर्ता या गारंटर एक ही शाखा या अन्य जगहों पर बैंक द्वारा समझौता किए गए किसी अन्य खाते को उद्धृत करने का प्रयास करता है, तो कृपया उसे अच्छी तरह से अवगत करायें कि कोई भी दो मामले समान नहीं हो सकते हैं। ऐसी चर्चा को हतोत्साहित करें। बैंकर्स को किसी अन्य ग्राहक के खाते या पुनर्भुगतान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।<br><br>(b) एक बार जब चर्चा समाप्त हो जाती है और समझौता हो जाता है, जो बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है, तो समझौते की राशि, भुगतान की शर्तों, देर से भुगतान के लिए ब्याज, धन के स्रोत आदि को स्पष्ट रूप से इंगित करने वाले समझौते के लिए उधारकर्ता से लिखित अनुरोध प्राप्त करें, लिखित प्रस्ताव में एक डिफॉल्ट खंड भी शामिल हो, जिसके तहत बैंक उधारकर्ता द्वारा शर्तों को पूरा करने में विफलता के मामले में उधारकर्ता के खिलाफ कानूनी रूप से या अन्यथा आगे बढ़ने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। समझौता प्रस्ताव का, बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कराया जाये। |
| **7. Preparation and submission of a compromise proposal**<br>(i) After negotiations with the borrower and obtaining a letter in writing from the borrower indicating his offer, branches will prepare a Compromise Proposal in the revised prescribed Performa (APPENDIX-I). | **7. समझौता प्रस्ताव तैयार करना और प्रस्तुत करना।**<br>(i) उधारकर्ता के साथ बातचीत करने और उधारकर्ता से उसके प्रस्ताव को दर्शाने के लिए लिखित रूप में एक पत्र प्राप्त करने के बाद, |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| | शाखाओं को संशोधित निर्धारित प्रोफार्मा (परिशिष्ट–1) में एक 'समझौता प्रस्ताव' तैयार करेगीं। |
| (ii) All the columns of the proposal have to be filled in carefully. | (ii) प्रस्ताव के सभी कॉलम सावधानी से भरने होंगे। |
| (iii) Under the heading Background of the proposal a brief history of the a/c till its present state will be given. | (iii) प्रस्ताव के शीर्षक "पृष्ठभूमि" के तहत खाते की वर्तमान स्थिति तक का संक्षिप्त इतिहास दिया जायेगा। |
| (iv) Under the heading Staff Lapses / Accountability definite information about staff accountability will be given. If there is no Staff Accountability in the account, it will be stated so. If some staff accountability has been fixed or matter is under investigation it must be reported. If any action was taken against any staff member in the past in respect of such an account, the details of action taken, punishment awarded, if any etc. will be given. Further if branch Managers sanctioned the loan without fulfilling the terms and conditions which are incorporated in the concerned circular or as instruction issued by loan Factory or HO. Branch Managers/loan committee of Branch will be held responsible for the violation. | (iv) "स्टाफ की खामियों / जवाबदेही" शीर्षक के तहत कर्मचारियों की जवाबदेही के बारे में निश्चित जानकारी दी जायेगी। यदि खाते में किसी कर्मचारी की जवाबदेही नहीं है, तो तदनुसार उल्लेख किया जायेगा। यदि कुछ कर्मचारियों की जवाबदेही तय की गई है या मामले की जांच चल रही है तो इसकी सूचना दी जायेगी। यदि ऐसे खाते के संबंध में पूर्व में किसी स्टाफ सदस्य के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई थी, तो की गई कार्रवाई, दी गई सजा, यदि कोई हो, आदि का विवरण दिया जायेगा। अग्रेतर यदि शाखा प्रबन्धकों द्वारा ऋण परिपत्र में दी गयी व्यवस्था का पूर्णतः अनुपालन किये बिना या लोन फैक्ट्री / मुख्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों की अवहेलना कर ऋण स्वीकृत किया है तो उसके लिए शाखा प्रबन्धक एवं शाखा की ऋण कमेटी को उत्तरदायी ठहराया जायेगा। |
| **(v)** Format of compromise proposals to be prepared and submitted by the branches. | (v) **शाखाओं द्वारा तैयार और प्रस्तुत किए जाने वाले समझौता प्रस्तावों का प्रारूप।** |
| In the format a column is provided to mention the total dues owed by the borrower towards information to the sanctioning authority. Branches shall mention whether any fraud is detected or reported in the account and whether the borrower is a willful defaulter. | प्रारूप में मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को जानकारी के लिए उधारकर्ता द्वारा बकाया राशि का उल्लेख करने के लिए एक कॉलम प्रदान किया गया है। शाखाएँ यह उल्लेख करेंगी कि क्या खाते में किसी धोखाधड़ी का पता चला है या रिपोर्ट की गई है और क्या उधारकर्ता जानबूझकर डिफॉल्टर है। |
| (vi) It shall be ensured that no column is left blank. In case a column is not relevant appropriate remark shall be made. Net worth of the Borrower/ | (vi) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी कॉलम खाली न रह जाए। यदि कोई कॉलम प्रासंगिक नहीं है, तो उचित टिप्पणी की |

Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

guarantor as of a recent date shall be incorporated, if necessary by making suitable enquiries. Date of valuation of the property of the borrower shall be invariably mentioned and justification for the value shall be given. In case CGTMSE(Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) etc claim is not received, the reason for the same shall be mentioned.

(vii) Every proposal will be accompanied by the following:

(a) Additional statistical data (as per annexure-1)

(b) Movement chart

(c) The officer/authority sanctioning a compromise/one time settlement will append a certificate ( as per enclosed APPENDIXES) stating that the compromise settlements are in conformity with the RBI guidelines."

(viii) Committee approach shall be adopted for compromise settlement.

The loans which are sanctioned by different sections of Head Office, Settlement Advisory Committee (SAC) consisting of General Managers/Dy. General Managers, AGM of HO, will examine and recommend compromise proposals and finally forward to Management committee for perusal and final sanction. Such committee will also function at branches consisting , Branch Manager and officers (in case only two officers including Br Manager are posted at the branch the senior most assistant, cashier will be member of committee ).. Such proposal will be sent to Regional Manager of the region to examine the proposal after that RO will send proposal to concerned department of HO. After that concerned department will send proposal for final aproval/sanction to Management committee through MD of the bank.

जाएगी। यदि आवश्यक हो तो ऋणी और जमानतदारों के नेटवर्थ की अद्यतन तिथि की जानकारी की जायेगी। उधारकर्ता की संपत्ति के मूल्याकन की तारीख का हमेशा उल्लेख किया जाएगा और मूल्य का औचित्य दिया जाएगा। यदि सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) आदि का दावा प्राप्त नहीं होता है तो इसके कारण का उल्लेख किया जाएगा।

(vii) प्रत्येक प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित विवरण होगा :

(a) अतिरिक्त वित्तीय विवरण (संलग्नक–1)

(b) मूवमेंट चार्ट

(c) समझौता / एकमुश्त निपटान को मंजूरी देने वाले अधिकारी / प्राधिकारी को एक प्रमाणपत्र (संलग्न परिशिष्टों के अनुसार) संलग्न करना होगा, जिसमें उल्लेख किया जायेगा कि समझौता निपटान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप है.

(viii) समझौता निपटान के लिए समिति का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों के स्तर से स्वीकृत किये जाने वाले ऋणों हेतु प्रधान कार्यालय में, समझौता सलाहकार समिति जिसमे महाप्रबंधक / उपमहाप्रबन्धक / सहायक महाप्रबन्धक शामिल हो समझौता प्रस्तावों की जांच करेंगे और उनकी सिफारिश करेंगे और अंत में अवलोकन और अंतिम मंजूरी के लिए बैंक के प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से बैंक की प्रबन्ध समिति को भेजेंगे। शाखा स्तर से स्वीकृत किये जाने वाले ऋणों हेतु इसी तरह की समिति शाखा प्रबंधक और शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों की होगी (यदि शाखा में शाखा प्रबन्धक सहित केवल दो अधिकारी ही तैनात हैं, तो सबसे वरिष्ठ सहायक / कैशियर समिति के सदस्य होंगे)। शाखा स्तर से तैयार समझौते / निपटान प्रस्ताव सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रेषित किया जायेगा। क्षेत्रीय प्रबन्धक प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर मुख्यालय सम्बन्धित विभाग को भेजेंगें। तदुपरान्त प्रबन्ध निदेशक के माध्यम से बैंक की प्रबन्ध समिति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

| | |
|---|---|
| **8. Powers for sanctioning compromise proposal**<br>For the purpose of deciding the level of authority, interest shall be calculated @ 10% p.a. simple or contracted rate (calculated as simple whichever is lower) on the net book dues from the date of NPA till the date of repayment and the consequent amount of sacrifice shall be considered. While calculating the sacrifice notional interest @ 10% or contracted rate on amount lying in GL Suit Filed Sundry deposit, any other non-interest bearing credit / deposit lying the name of the borrower, CGTMSE(Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) etc claim received account shall be calculated and reduced from the total dues. Legal / other expenses incurred shall be added to the dues. The settlement advisory committee at branch level will send compromise proposal for approval from management committee to head office. | 8. समझौता **प्रस्ताव** को स्वीकृत करने की शक्तियां<br>प्राधिकार का स्तर तय करने के उद्देश्य से, ब्याज की गणना एनपीए की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक नेट बुक बकाया राशि पर साधारण रूप से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष या संविदा ब्याज की दर (साधारण) जो भी कम हो, से की जाएगी और इसके परिणामस्वरूप बलिदान की राशि पर विचार किया जाएगा। जीएल सूट दायर विविध जमा में पड़ी राशि पर 10 प्रतिशत की दर या संविदा दर से बलिदान के काल्पनिक ब्याज की गणना करते समय, उधारकर्ता के नाम से पड़े किसी भी अन्य गैर–ब्याज वाले क्रेडिट/जमा, सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) आदि दावा प्राप्त खाते की गणना की जाएगी और उसे कुल बकाया राशि से घटाया जाएगा। किए गए कानूनी/अन्य खर्चों को बकाया राशि में जोड़ा जाएगा। शाखा स्तर पर निपटान सलाहकार समिति समझौता करने के लिए समझौता प्रस्ताव को बैंक की प्रबन्ध समिति से अनुमति प्राप्त करने हेतु मुख्यालय प्रेषित करेगी। |
| A) All compromise proposals in respect of account where fraud has been committed shall be referred to Head Office for consideration of Competent Authority. | A) जिन खातों में धोखाधड़ी की गई है, के संबंध में सभी समझौता प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के विचार के लिए प्रधान कार्यालय को भेजे जाएंगे। |
| B) In a staff related account where staff member is not a guarantor<br>1. It should be considered by an authority of HO.<br>2. The authority sanctioning the compromise should not have dealt with the account in any capacity earlier. It is clarified, for removal of any doubt, that Board of Directors / Management Committee of Board has power to sanction any compromise proposal irrespective of quantum of sacrifice, nature of compromise settlement and nature of the account in which a compromise is considered. | B) स्टाफ से संबंधित खाते में जहां स्टाफ सदस्य गारंटर नहीं है<br>1. इस पर प्रधान कार्यालय द्वारा विचार किया जायेगा।<br>2. समझौते को मंजूरी देने वाले अधिकारी को पूर्व में किसी भी क्षमता में खाते के साथ सम्बद्ध नहीं होना चाहिए। प्रबन्ध समिति के पास बलिदान/त्याग की मात्रा, समझौता निपटान की प्रकृति और उस खाते की प्रकृति के बावजूद किसी भी समझौता प्रस्ताव को मंजूरी देने की शक्ति है, जिसमें समझौता करने पर विचार किया जाता है। |

U.P. Cooperative Banking Section Lucknow

**9. POST SANCTION MEASURES**

(i) When a compromise proposal is sanctioned by Head Office, they will be forwarding the copy of the sanction to the branches. Sometime, they may advise the gist of the accepted proposal by e-mail etc. for effecting speedy recovery.

(ii) As soon as the sanction is received, branches will study the terms conditions of sanction carefully and understand it fully.

(iii) (a) Immediately thereafter, branches will apprise the terms of sanction in writing to the borrower. The letter will contain the words Without Prejudice on top to retain our right of legal and other recourse in case of default by the borrower.

(b) Following clause be also incorporated in such letters:
Please note that our Bank has agreed to accept an amount of Rs.----------(with interest) instead of the book dues of Rs.--------- and our dues as at ---------- provided all the terms and conditions stipulated hereinabove have been fully complied with by you. In case of default on your part in complying with any of the aforesaid terms/conditions, whetherfully or partially (the decision of our Bank in this regard shall be conclusive andbinding on you), the compromise agreed to as hereinabove shall stand cancelled and we shall have the right to recover the full amount of Rs.--------with further interest thereon as may be stipulated by the Bank, without any reliefs and Concessions.

**9. समझौता प्रस्ताव के स्वीकृति के बाद के उपाय**

(i) जब प्रधान कार्यालय द्वारा समझौता प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है, तो वे स्वीकृति की प्रति शाखाओं को भेज देंगे। कार्य की शीघ्रता के दृष्टिगत स्वीकृत प्रस्ताव को ई–मेल आदि द्वारा प्रेषित किये जायेगें।

**(ii)** स्वीकृति मिलते ही, शाखाओं को स्वीकृति के नियमों और शर्तों का अध्ययन कर उसे पूरी तरह से लागू करना होगा।

**(iii) (a)** इसके तुरंत बाद, शाखाओं को उधारकर्ता को लिखित रूप में स्वीकृति की शर्तों के बारे में अवगत करायेगें। उधारकर्ता द्वारा चूक के मामले में कानूनी और अन्य सहारा लेने के हमारे अधिकार को बनाए रखने के लिए शीर्ष पर "बिना किसी पूर्वाग्रह के" लिखा जायेगा।

(b) **ऐसे पत्रों में निम्नलिखित खंड भी शामिल किए जाएं:**
"कृपया ध्यान दें कि हमारा बैंक (ब्याज के साथ) रु0 ———— की राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है। बही बकाया राशि रू0 ———————— और अन्य देय रू0 ———————— है। बशर्ते कि ऊपर निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का आपके द्वारा पूरी तरह से अनुपालन किया गया हो। उपरोक्त किसी भी नियम/शर्तों का अनुपालन करने में आपकी ओर से चूक के मामले में, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से हो (इस संबंध में हमारे बैंक का निर्णय निर्णायक और आप पर बाध्यकारी होगा). ऊपर दिए गए समझौते को रद्द कर दिया जाएगा और हमें रुपये की पूरी राशि रू0 ————————वसूलने का अधिकार होगा। बिना किसी राहत और रियायत के, जो बैंक द्वारा निर्धारित किया जा सकता है एवं उस पर अतिरिक्त ब्याज भी देय होगा।

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| (iv) The branch will calculate the dues to be paid by the borrower, if it includes adding of up to date interest at a specified rate. | (iv) शाखा को उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया राशि की गणना करनी होगी, इसमें निर्दिष्ट दर पर अद्यतन ब्याज शामिल होगा। |
| (v) An acceptance of the terms of compromise will be obtained in writing from the borrower and the same should be kept on record. | (v) समझौते की शर्तों की स्वीकृति उधारकर्ता से लिखित रूप में प्राप्त की जायेगी और इसे रिकॉर्ड में रखा जायेगा। |
| (vi) Branch will follow the practise to diarise and continue to remind the borrower a few days before the due date of payment to ensure that the borrower will pay the compromise amount as per sanction. | (vi) शाखा ग्राहक से सम्पर्क को डायरीबद्ध करेगी एवं ग्राहक को भुगतान करने के लिए नियत तिथि से कुछ दिन पूर्व लगातार रिमाईन्ड करायेगी ताकि ग्राहक समझौता धनराशि को स्वीकृति के अनुसार नियत तिथि पर जमा कर सके। |
| (vii) The amount so received, should be credited to borrowers account if the account is not a suit filed account. In case of Suit Filed account, the amount should be credited to G/L Suit Filed Sundry Creditor account. | (vii) यदि खाता मुकदमा दायर खाता नहीं है, तो प्राप्त राशि उधारकर्ताओं के खाते में जमा की जायेगी। मुकदमा दायर खाते के मामले में, राशि जी/एल सूट फाइल्ड विविध लेनदार खाते में जमा की जायेगी। |
| (viii) When the entire amount of compromise is recovered, the branch may write-off the remaining book-dues, if any, as per sanction to the debit of P/L Bad Debt written off account. In case, there is no write off and only waiver of interest is there, no entry is to be passed. | (viii) जब समझौते की पूरी राशि वसूल हो जाने के बाद शाखा लाभ–हानि खाते को डेबिट करते हुए राइटआफ कर बन्द करेगी। |
| (ix) If (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) etc. claims have been received in respect of the account, proportionate share of recovery will be remitted to CGTMSE as the case may be as per separate guidelines given earlier. | (ix) यदि (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) आदि खाते के संबंध में दावे प्राप्त हुए हैं, तो वसूली का आनुपातिक हिस्सा सीजीटीएमएसई के दिशा–निर्देशों के अनुसार वापस किया जायेगा। |
| (x) In the case of Suit Filed accounts, when the full compromise amount has been received, the branch will advise the Advocate to withdraw the suit. After taken permission from HO. | (x) मुकदमा दायर खातों के मामले में, पूरी समझौता राशि प्राप्त हो जाने के पश्चात शाखा अधिवक्ता को मुकदमा वापस लेने का निर्देश मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात देगी। |

U.P. Cooperative Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| (xi) Immediately on payment of the dues and closure of the account, branches will provide following information to HO ;-<br><br>(a) Amount of recovery effected.<br>(b) Date of recovery.<br>(c) Date of closure of account.<br>(d) Amount of write-off.<br>(e) Amount of waiver.<br>(f) Total sacrifice | (xi) बकाया राशि के भुगतान और खाते को बंद करने के तुरंत बाद, शाखाओं द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जायेगीं:–<br>(a) प्रभावी वसूली की राशि।<br>(b) वसूली की तिथि।<br>(c) खाता बंद करने की तिथि।<br>(d) राइट–ऑफ की राशि।<br>(e) छूट की राशि(Amount of waiver)<br>(f) कुल बलिदान (Total sacrifice) |
| (xii) If no response is received after conveying sanction despite follow-up, branch should report borrower inaction or failure of compromise to higher authorities and seek instructions well in time. | (xii) ऐसे समझौता प्रस्ताव जो मुख्यालय स्तर से स्वीकृति प्रस्ताव के बाद भी उधारकर्ता द्वारा कोई सक्रियता/प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो शाखा को ऐसे मामलें में मुख्यालय को उधारकर्ता की निष्क्रियता या उच्च अधिकारियों को समझौता करने में विफलता की रिपोर्ट देनी चाहिए। |
| (xiii) Branches are required to keep a Register showing the compromise proposals submitted, sanctioned and settled giving all details such as date of sanction, sanctioning authority, sanction no., balance outstanding, accrued interest, other charges, write-off, waiver, date of closure of a/c, initials of Branch Manager etc. | (xiii) शाखाओं को एक रजिस्टर रखना आवश्यक है, जिसमें सभी विवरण दर्ज किये जायें। स्वीकृत और निपटाए गए समझौता प्रस्तावों जैसे कि मंजूरी की तारीख, मंजूरी प्राधिकारी, स्वीकृति संख्या, बकाया राशि, अर्जित ब्याज, अन्य शुल्क, राइट–ऑफ, छूट, खाता बंद करने की तारीख, शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर आदि शामिल हों। |
| (xiv) Branches are also required to keep an additional copy of proposal along with a copy of sanction for the purpose of Income Tax rebate to be claimed by the bank. | (xiv) शाखाओं को प्रस्ताव एवं स्वीकृति पत्र की प्रति, बैंक द्वारा दावा की जाने वाली आयकर छूट के प्रयोजन के लिए रखनी चाहिए। |
| **10. Compromise settlements in suit filed accounts**<br>(i) In the case of suit filed accounts where compromise is sanctioned, consent terms signed by the bank and the borrower/guarantor shall be filed with Court/DRT and consent decree shall be obtained. | **10. मुकदमा दायर किए गए खातों में समझौता निपटान।**<br>(i) मुकदमा दायर खातों के मामले में, जहां समझौता स्वीकृत है, बैंक और उधारकर्ता/गारंटर द्वारा हस्ताक्षरित सहमति शर्तों को |

| | |
|---|---|
| (ii) Consent decree shall contain the default clause to the effect that the debt to the bank would revive with up to-date interest at contracted rate, costs and expenses in case the borrower does not pay the compromise amount as stipulated. | न्यायालय / डीआरटी के पास दायर किया जाएगा और सहमति डिक्री प्राप्त की जाएगी।<br>(ii) सहमति डिक्री में इस आशय का डिफॉल्ट खंड शामिल होगा कि यदि उधारकर्ता निर्धारित समझौता राशि का भुगतान नहीं करता है, तो बैंक के ऋण अनुबंधित दर, लागत और खर्चों पर अद्यतन ब्याज के साथ बकाया वसूल किया जायेगा। |
| **11. Follow up action after sanction of compromise**<br>(i) Usually the sanction of a compromise is valid for a specified period. If recovery is not effected within the period, the sanction expires and a fresh sanction is to be sought. Meanwhile usual recovery measures and pressure on borrower/ guarantor as per legal remedies should continue. | **11. समझौता प्रस्तावों पर अनुवर्ती कार्रवाही।**<br>(i) आमतौर पर किसी समझौते की स्वीकृति एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वैध होती है। यदि अवधि के भीतर वसूली प्रभावी नहीं होती है, तो स्वीकृति समाप्त हो जायेगी और नई स्वीकृति मांगी जानी चाहिए। इस बीच, वसूली के सामान्य उपाय और कानूनी उपायों के अनुसार उधारकर्ता / गारंटर पर दबाव जारी रहना चाहिए। |
| (ii) Any change in the terms and conditions of sanction should be referred to the sanctioning authority and only after the revised sanction is received, should it be conveyed to the borrower. No commitment in this regard is to be made in writing or orally before the receipt of revised sanction. | (ii) मंजूरी के नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव को मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए और संशोधित मंजूरी मिलने के बाद ही इसे उधारकर्ता को सूचित किया जाना चाहिए। संशोधित मंजूरी प्राप्त होने से पहले लिखित या मौखिक रूप से इस संबंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं की जानी चाहिए। |
| **12 SETTLEMENT THROUGH LOK ADALATS:**<br>1. advantages of compromise through Lok Adalat<br>(i) There is no court fee involved when fresh disputes are referred to it.<br>(ii) It can take cognizance of any existing suit in the court as well as look into and adjudicate upon fresh disputes.<br>(iii) If no settlement is arrived at, the parties can continue with court proceedings. The decrees by Lok Adalat have legal status and are binding. | **12 लोक अदालतों के माध्यम से निपटारा:**<br>1. लोक अदालत के माध्यम से समझौता प्रस्ताव के लाभ<br>(i) नए विवादों को संदर्भित करने पर इसमें कोई अदालती शुल्क शामिल नहीं होता है।<br>(ii) लोक आदालत किसी भी मौजूदा मुकदमे का संज्ञान ले सकता है और साथ ही नए विवादों पर गौर कर सकता है और उन पर निर्णय ले सकता है। |

**2. Ceiling on amount and coverage of borrowers**

The ceiling amount for coverage under Lok Adalat is Rs.10/- lacs. All NPA accounts, both suit filed and others, which are in Doubtful and Loss category, can be included for reference to the Lok Adalat.

**3. Settlement Formula**

(i) A decree shall be sought from the Lok Adalat for the principal amount and interest claimed in the suit, and after full payment of decree amount, a discharge certificate shall be issued by the branch.

(ii) As far as possible the branch shall endeavour to recover at least the outstanding amount as on the date of NPA/suit filed whichever is earlier.

4. However, in genuine cases where no security is available or realizable value of security is much less than the outstanding dues, borrowers/guarantors worth is negligible, cost of suit is high, suit is being dragged on for long duration without any decision etc. the bank may accept:

(i) In Doubtful A/cs: Minimum 75% of the gross outstanding amount as on the date of NPA.

(ii) In Loss A/cs: Minimum 50% of the gross outstanding amount as on the date of NPA.

(iii) यदि कोई समझौता नहीं होता है, तो पक्षकार अदालती कार्यवाही जारी रख सकते हैं। लोक अदालतों के निर्णयों को कानूनी दर्जा प्राप्त है और ये बाध्यकारी हैं।

**2. उधारकर्ताओं की राशि और कवरेज की सीमा**

लोक अदालत के तहत कवरेज की अधिकतम राशि रु. 10.00 लाख है। सभी एनपीए खाते, जिसमें वाद भी दायर हैं, जो संदिग्ध और नुकसान की श्रेणी में हैं, लोक अदालतों में संदर्भित किये जा सकते हैं।

**3. सेटलमेंट फॉर्मूला**

(i) मुकदमे में दावा की गई मूल राशि और ब्याज के लिए लोक अदालत से एक डिक्री मांगी जाएगी, और डिक्री राशि के पूर्ण भुगतान के बाद, शाखा द्वारा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

(ii) जहां तक संभव हो शाखा एनपीए/मुकदमा दायर करने की तारीख, जो भी पहले हो, बकाया राशि की वसूली करने का प्रयास करेगी।

4. हालांकि, वास्तविक मामलों में जहां कोई प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है या प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बकाया राशि से बहुत कम है, उधारकर्ता/गारंटर का मूल्य नगण्य है, सूट की लागत अधिक है, बिना किसी निर्णय के लंबी अवधि के लिए मुकदमा खींचा जा रहा है ऐसी स्थिति में बैंक निम्न आधार पर प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है:

(i) संदिग्ध खातों में: एनपीए की तारीख के अनुसार सकल बकाया राशि का न्यूनतम 75%।

(ii) इन लॉस अकाउंट: एनपीए की तिथि के अनुसार सकल बकाया राशि का न्यूनतम 50%।

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| (iii) As far as possible it shall be the endeavour to recover the entire compromise amount in bullet payment within a period of –90- days. | (iii) जहां तक संभव हो, यह प्रयास होगा कि 90– दिनों की अवधि के भीतर बुलेट भुगतान में पूरी समझौता राशि की वसूली की जाए। |
| 5. However, considering the cash flow of the borrower/sources of funds, payment will be accepted in installments spread over 1 to 3 years with initial down payment of at least 15% on acceptance of sanction by the borrower and balance in suitable monthly installments with interest @10% p.a. simple rate on reducing balance. | 5. उधारकर्ता के धन के स्रोतों के नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए, उधारकर्ता द्वारा मंजूरी की स्वीकृत राशि का कम से कम 15 प्रतिशत प्रारंभिक डाउन पेमेंट के साथ 1 से 3 वर्षों के अन्तर्गत किस्तों में भुगतान स्वीकार किया जा सकता है और इस राशि पर ब्याज 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की साधारण दर के साथ मासिक किस्तों में शेष राशि स्वीकार की जायेगी। |
| 6. In case bank has agreed for compromise amount which is less than the gross outstanding amount, the entire compromise amount shall be recovered within 90 days of settlement of Lok Adalat. | 6. यदि समझौता राशि सकल बकाया राशि से कम है, तो लोक अदालत के निपटारे के 90 दिनों के भीतर संपूर्ण समझौता राशि वसूल की जाएगी। |
| 7. The negotiated agreement with the borrower shall contain a default clause in terms of which if the borrower does not pay the payments regularly, within the repayment period, the entire debt will fall due for payment and bank may initiate legal proceedings. The agreement shall provide a maximum of two defaults after which the compromise stands cancelled and the entire dues will be payable without any sacrifice. | 7. उधारकर्ता के साथ किए गए समझौते में एक डिफॉल्ट खंड शामिल होगा, जिसके अन्तर्गत यदि उधारकर्ता नियमित रूप से भुगतान नहीं करता है, तो चुकौती अवधि के भीतर, पूरा ऋण भुगतान के लिए देय होगा और बैंक कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है। अनुबंध अधिकतम दो चूक प्रदान करेगा जिसके बाद समझौता रद्द समझा जायेगा और उधारकर्ता द्वारा पूरी बकाया राशि बिना किसी बलिदान के देय होगी। |
| 8. Since Lok Adalat settle cases on the spot, it is expected that the officers representing the bank shall have sufficient powers to accept the compromise worked out within the above stated policy guidelines. With a view to enable settlement of cases expeditiously, the Branch Manager shall attend the hearing in Lok Adalat and shall react proactively to the suggestion of the presiding officer of the Lok Adalat. | 8. चूंकि लोक अदालतें मौके पर ही मामलों का निपटारा करती हैं, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी के पास उपर्युक्त नीति दिशानिर्देशों के तहत किए गए समझौते को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त शक्तियां निहित होंगी। मामलों को शीघ्रता से निपटाने के उद्देश्य से, शाखा प्रबंधक लोक अदालत में सुनवाई में शामिल होंगे और लोक अदालत के पीठासीन अधिकारी के सुझाव पर सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देंगे। |

erative Ba... Banking Section Luckno...

| | |
|---|---|
| 9. Sanctioning Authority Decision on the compromise settlement shall be taken by Settlement Advisory Committee at Branch or HO as per discretionary powers. Sacrifice shall be arrived at considering interest at 10% simple rate on the net book dues from the date of cessation of interest till the date of settlement of the account. | 9. समझौता प्रस्ताव स्वीकृत करने का अधिकार शाखा या मुख्यालय में निपटान सलाहकार समिति द्वारा प्रदत्त विवेकाधीन शक्तियों के अनुसार किया जाएगा। खाते में ब्याज बन्द होने की तारीख से खाते के निपटान की तारीख तक निवल बही की बकाया राशि पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज दर वसूल करने पर विचार किया जाना चाहिए। |
| **10.** GENERAL:<br>i. Branches will contact the borrowers whose name are submitted to Lok Adalat / DRT for attending Lok Adalat on the specified date. | **10.** सामान्य:<br>(i) शाखाओं को उन उधारकर्ताओं से संपर्क करेगी, जिनका नाम निर्दिष्ट तिथि पर लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए लोक अदालत में प्रेषित किया गया है। |
| ii. In case of compromise proposals falling beyond the Branch authorities the Branch will obtain prior approval from competent authority before committing on behalf of the bank in Lok Adalat. This calls for advance actions by the Branch to seek approval of the higher authorities well before the scheduled date of holding Lok Adalat. | (ii) ऐसे समझौता प्रस्ताव जो शाखा अधिकारियों के विवेकाधीन अधिकार से परे हैं सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगीं। बैंक को लोक अदालतों के आयोजन की निर्धारित तिथि से ठीक पहले उच्च अधिकारियों की मंजूरी लेने के लिए अग्रिम कार्रवाई की मांग की जानी चाहिए। |
| iii. Legal expenses / charges incurred by the Bank should be recovered from the parties as a policy in all compromise proposals. | (iii) सभी समझौता प्रस्तावों में पॉलिसी के रूप में बैंक द्वारा किए गए कानूनी खर्च / शुल्क की वसूली पार्टियों से की जानी चाहिए। |
| iv. Present net worth of the sole proprietor / partners / directors of the firms / companies and the guarantors in the account should be ascertained and indicated in the compromise proposals. | (iv) फर्मों / कंपनियों के एकमात्र मालिक / साझेदारों / निदेशकों और खाते में मौजूद गारंटरों की वर्तमान निवल संपत्ति का पता लगाया जाना चाहिए और समझौता प्रस्तावों में इंगित किया जाना चाहिए। |
| v. In case of compromise proposals falling within the powers of branches it should be ensured that the compromise offer amount is quite reasonable considering the realizable / marketable value of securities available in the accounts and personal worth of the parties. This calls for a well studied negotiation of the compromise proposals at branch and HO level with constituents of NPA accounts. | (v) शाखाओं की शक्तियों के अंतर्गत आने वाले समझौता प्रस्तावों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पार्टियों के खातों में उपलब्ध प्रतिभूतियों के वास्तविक / विपणन योग्य मूल्य और व्यक्तिगत हैसियत को देखते हुए समझौता प्रस्ताव की राशि निश्चित करना |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

**11.** Deviation only by Board of Directors:
The settlement guidelines as advised above are to be followed strictly. Deviation if any, for any borrower can be made only by the Board of Directors. In view of this, branches should ensure strict compliance of these guidelines. In exceptional cases if any deviations are required to be made the same may be referred to HO with cogent reasons /justifications

चाहिए। इसके लिए एनपीए खातों के घटकों के साथ शाखा और मुख्यालय स्तर पर समझौता प्रस्ताव का उचित अध्ययन करना चाहिए।

**11.** केवल निदेशक मंडल द्वारा विचलनः
ऊपर बताए गए निपटान दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। किसी भी उधारकर्ता के लिए, शर्तो में छूट आदि केवल निदेशक मंडल द्वारा किया जा सकता है। इसे देखते हुए, मुख्यालय/शाखाओं को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। असाधारण मामलों में, यदि कोई विचलन करना आवश्यक हो, तो औचित्य के साथ प्रस्ताव बोर्ड को भेजा जा सकता है।

13 **SCHEME OF WILFUL DEFAULTERS**:
1. Reserve Bank of India has framed a scheme under which the bank is required to submit to them the details of willful defaulters. The scheme covers all NPA borrowal accounts with outstanding of Rs.25/- lacs (Funded and devolved non-funded facilities) and above.

**13.** विलफुल डिफॉल्टर्स की स्कीमः
1. भारतीय रिजर्व बैंक ने विलफुल डिफॉल्टर्स योजना तैयार की है जिसके तहत बैंक को विल्कुल डिफॉल्टर्स का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस योजना में उन सभी एनपीए उधार खातों को शामिल किया गया है, जिनका बकाया रु. 25.00 लाख (वित्त पोषित और गैर–वित्त पोषित सुविधाएं) और उससे अधिक है।

2. A wilful default would be deemed to have occurred if any of the following is noted :

i. The unit has defaulted in meeting its payment/repayment obligations to the lender even when it has the capacity to honour the said obligations.

ii. The unit has defaulted in meeting its payment/repayment obligations to the lender and has not utilised the finance from the lender for the specific purposes for which finance was availed of but has diverted the funds for other purposes.

2. निम्नलिखित में से कोई भी कार्य ऐसा माना जाएगा कि जानबूझकर चूक की गई है :–

(i) यूनिट ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है, भले ही उसके पास उक्त दायित्वों का पालन करने की क्षमता हो।

(ii) यूनिट ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है और उन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऋणदाता से वित्त का उपयोग नहीं किया है जिनके

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section

| | |
|---|---|
| 3. In case any falsification of accounts on the part of the borrower is observed by the bank, aformal complaint shall be lodged against the auditor of the borrower with the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) if it is observed that the auditors were negligent or deficient in conducting the audit to enable the ICAI to examine and fix accountability of the auditor.<br><br>4. In view of above scheme framed by RBI, no rehabilitation/restructuring of an NPA borrowing unit, which is declared as wilful defaulter shall be attempted by the Bank. However the Bank may enter into an acceptable compromise settlement with such borrowers. | लिए वित्त का लाभ उठाया गया था, लेकिन अन्य उद्देश्यों के लिए धन को डायवर्ट किया है।<br><br>3. यदि बैंक द्वारा उधारकर्ता की ओर से खातों का कोई भी मिथ्याकरण देखा जाता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस ऑफ इंडिया (आईसीएआई) में उधारकर्ता के ऑडिटर के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी, यदि यह देखा जाता है कि ऑडिटर ऑडिट करने में लापरवाही या कमी कर रहे थे, ताकि आईसीएआई ऑडिटर की जवाबदेही की जांच कर सके और उसे ठीक कर सके।<br><br>4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई उपरोक्त योजना को ध्यान में रखते हुए, बैंक द्वारा एनपीए उधार लेने वाली इकाई, जिसे विलफुल डिफॉल्टर के रूप में घोषित किया गया है, के पुनर्वास/पुनर्गठन का प्रयास नहीं किया जाएगा। हालांकि बैंक ऐसे उधारकर्ताओं के साथ स्वीकार्य समझौता कर सकता है। |
| **14. ADVANCE ACCOUNTS WHERE FRAUDS ARE COMMITTED:**<br><br>1. There are instances where borrowers have committed frauds in advances accounts or a fraud might have resulted in overdraft in current or savings bank account. Borrowers might have committed the fraud with or without the involvement of staff. There are no guidelines from the RBI to the effect that the bank shall not enter into any compromise settlement in an account where fraud is committed. | **14. अग्रिम खाते जहां धोखाधड़ी की जाती है:**<br><br>1. ऐसे उदाहरण हैं जहां उधारकर्ताओं ने अग्रिम खातों में धोखाधड़ी की है या धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप चालू या बचत बैंक खाते में ओवरड्राफ्ट हो सकता है। उधारकर्ताओं ने स्टाफ की भागीदारी के साथ या उसके बिना धोखाधडी की हो। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से इस आशय के कोई दिशानिर्देश नहीं हैं कि जिस खाते में धोखाधडी की गई है बैंक किसी भी समझौते के निपटान में प्रवेश नही करेगा। |
| 2. Branches, shall not enter into any compromise settlement in accounts where frauds are committed. Any compromise proposal in respect of such an account shall be referred to the Head Office for consideration. | 2. शाखाएँ, उन खातों में किसी भी समझौते के निपटान मे प्रवेश नहीं करेंगी जहाँ धोखाधड़ी की गई है। ऐसे खाते के संबंध मे |

U.P. Cooperative Bank Banking Section Lucknow

किसी भी समझौते के प्रस्ताव को विचार के लिए प्रधान कार्यालय के पास भेजा जाएगा।

**15. Compromise Offer in Relation to Net Present Value (NPV)**

NPV, (net present value) is how much an investment is worth throughout its lifetime, discounted to today value. The formula for NPV is often used in investment banking and accounting to determine if an investment, project, or business will be profitable in the long run. Net present value (NPV) is used to calculate the current value of a future stream of payments from a company, project, or investment. The discount rate reflect cost of capital or the returns available on alternative investments of comparable risk. If the NPV of a project or investment is positive, it means its rate of return will be above the discount rate. Following is the formula for calculating NPV (Today's value of the expected cash flows)

**NPV= P/( 1+ 10. 00 / 100) 2 .**

P- Realizable value of the asset

10% Discount Rate/ contractual rate ( Normally used in compromise )
Resolution period here 2 - Time Period

**The average realizable time vary on case to case basis as per table below**

**15. निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के संबंध में समझौता प्रस्ताव**

निवल वर्तमान मूल्य यह बताता है कि किसी निवेश का जीवनकाल में कितना मूल्य होता है, जिस पर आज के मूल्य के हिसाब से छूट दी जाती है। निवल वर्तमान मूल्य के सूत्र का उपयोग अक्सर निवेश बैंकिंग और लेखांकन में किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लंबे समय में कोई निवेश, परियोजना या व्यवसाय लाभदायक होगा या नहीं। निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का उपयोग किसी कंपनी, परियोजना या निवेश से होने वाले भुगतानों की भावी धारा के वर्तमान मूल्य की गणना करने के लिए किया जाता है। छूट की दर पूंजी की लागत या तुलनीय जोखिम के वैकल्पिक निवेशों पर उपलब्ध रिटर्न को दर्शाती है। यदि किसी परियोजना या निवेश का निवल वर्तमान मूल्य सकारात्मक है, तो इसका मतलब है कि उसकी वापसी की दर छूट की दर से ऊपर होगी। एनपीवी (अपेक्षित नकदी प्रवाह का आज का मूल्य) की गणना करने का सूत्र निम्नलिखित है:

**निवल वर्तमान मूल्य = P (1 + 10.00 / 100) 2**

P– परिसंपत्ति का वसूली योग्य मूल्य

10 प्रतिशत डिस्काउंट दर / कॉन्ट्रैक्चुअल रेट (आमतौर पर समझौते में इस्तेमाल किया जाता है)

समाधान अवधि यहाँ 2 – समयावधि

नीचे दी गई तालिका के अनुसार, औसत वसूली योग्य हर मामले में समय के आधार पर अलग–अलग होता है।

**संग्रह परिदृश्य में अपेक्षित अवधि**

| परिदृश्य | वसूली में सम्भावित समय(वर्ष) |
|---|---|

| Scenario | Expected period in Collection(Years) |
|---|---|
| Agriculture property not eligible under SARFAESI | 4 |
| DRT/ other Court Litigation / pendency | 4 |
| At Symbolic possession under SARFAESI | 3 |
| Physical possession taken under SARFAESI | 1 |
| Physical possession taken under SARFAESI but in litigation / disputes | 2 |
| Decree passed by DRT/ other Court | 2 |

Branches will work out the net present value of the estimated cash flows associated with the realizable value of the available securities net of the cost of realization. As the payment of compromise amount may be in Installments, the net present value of the settlement amount should be calculated and this amount should generally not be less than the net present value of the realizable value of securities. Quite often instances may come across of considerable delay in sanction of Compromise Proposals on account of compromise offers are below Net Present Value (NPV) of securities. In such circumstances the Settlement Advisory Committee at head office shall be the Competent Authority for approving deviation with regard to acceptance of sanction of compromise offers which are below Net Present Value (NPV) of securities in the matter of Compromise Proposals otherwise falling within branch powers, on

| | |
|---|---|
| कृषि संपत्ति सरफेसी के तहत पात्र नहीं है | 4 |
| डीआरटी / अन्य कोर्ट लिटिगेशन / पेंडेंसी | 4 |
| सरफेसी के तहत प्रतीकात्मक कब्जे पर | 3 |
| सरफेसी के तहत लिया गया भौतिक कब्जा | 1 |
| सरफेसी के तहत लिया गया भौतिक कब्जा लेकिन अंदर मुकदमा / विवाद | 2 |
| डीआरटी / अन्य न्यायालय द्वारा पारित डिक्री | 2 |

शाखायें वसूली की लागत के उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य से जुड़े अनुमानित नकदी प्रवाह का शुद्ध वर्तमान मूल्य निकालेगीं, चूंकि समझौता राशि का भुगतान किस्तों में हो सकता है, इसलिए निपटान राशि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना की जानी चाहिए और यह राशि आम तौर पर प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के शुद्ध वर्तमान मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। अक्सर ऐसे उदाहरण सामने आ सकते हैं जब समझौता प्रस्तावों के कारण समझौता प्रस्ताव प्रतिभूतियों के निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) से कम होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रधान कार्यालय में निपटान सलाहकार समिति को संदर्भित कर निर्देश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| case to case basis with suitable justification, subject to reporting its decision to the Head Office – Recovery Department for Post Sanction Reporting (PSR). | |
| **16- Common Shortcomings observed in Compromise Proposals**<br>Following are the common shortcomings in the Compromise Proposals/ Requests for Post Sanction Reporting Noting:<br>1) The compromise offer submitted by the Borrower should be analysed vis-a-vis the Realisable Value of primary as well as collateral securities,<br>(a) at the time of sanction,<br>(b) not older than -1- year at the time of considering compromise offer a | **16. समझौता प्रस्तावा तैयार करते समय ध्यान देने योग्य बातें :–**<br>समझौता प्रस्तावों/अनुरोधों में स्वीकृति के उपरान्त समीक्षा में पायी जाने वाली सामान्य कमियां निम्नलिखित हैं:<br>1) उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत समझौता प्रस्ताव का प्राथमिक और साथ ही संपार्श्विक प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य की तुलना में विश्लेषण किया जाना चाहिए,<br>(a) स्वीकृति के समय,<br>(b) समझौता प्रस्ताव पर विचार करते समय परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन एक वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। |
| 3) For securities having individual value of Rs. 2.00 Crs. and above, valuation should be obtained from two approved valuers, independently. In case of any doubt and/ or variation of more than 25 % in the two valuations, the security should be re-valued through a 3 rd senior valuer and the Branch/ HO to satisfy itself about satisfactory/realistic valuation of the securities. | 3) रु. 2.00 करोड़ और उससे अधिक के व्यक्तिगत मूल्य वाली प्रतिभूतियों के लिए, दो स्वीकृत मूल्यांकनकर्ताओं से स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन प्राप्त किया जाना चाहिए। किसी भी संदेह और या दो मूल्यांकनों में 25 प्रतिशत से अधिक की भिन्नता के मामले में, प्रतिभूतियों के संतोषजनक/वास्तविक मूल्यांकन के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए तीसरे वरिष्ठ मूल्यांकनकर्ता और शाखा/मुख्यालय के माध्यम से प्रतिभूति का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। |
| 4) If reduction in value of securities is observed, the reasons therefore should be analyzed and incorporated in the Compromise Proposals. | 4) यदि प्रतिभूतियों के मूल्य में कमी देखी जाती है, तो इसलिए कारणों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और समझौता प्रस्तावों में शामिल किया जाना चाहिए। |
| 5) In all Compromise Proposals received, barring a few, latest net worth of Promoters and Guarantors are not incorporated. Please note that the acceptability of the compromise offer can be examined only if latest net worth is available. An analysis is to be made with regard to growth/ erosion of net | 5) प्राप्त सभी समझौता प्रस्तावों में, कुछ को छोड़कर, प्रमोटरों और गारंटरों की नवीनतम निवल संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है। कृपया ध्यान दें कि समझौता प्रस्ताव की स्वीकार्यता की जांच तभी |

U.P. Cooperative Bank Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| worth of the Promoters and Guarantor. If net worth has eroded or the branch does not have the details of latest net worth, the reasons therefore to be incorporated in the Compromise Proposals. | की जा सकती है जब नवीनतम निवल मूल्य उपलब्ध हो। प्रमोटरों और गारंटर की निवल संपत्ति की वृद्धि/क्षरण के संबंध में विश्लेषण किया जाना चाहिए। यदि निवल संपत्ति नष्ट हो गई है या शाखा में नवीनतम निवल संपत्ति का विवरण नहीं है, तो समझौता प्रस्तावों में इस का उल्लेख किया जाये। |
| **17. COMPROMISES IN AGRICULTURAL ADVANCES**<br>IT has been observed the value of mortgaged agriculture land is higher than the outstanding loan amount; it is difficult to sell/auction the land to recover our dues because of its location and status such as fragmented land, non-availability of purchaser, constraints in sale of SC/ST farmersland, non-co-operation from revenue authority and various other local factors.<br>The Reserve Bank of India's guidelines on sale of assets and compromises advised are as under "The valuation procedure to be followed to ensure that the economic value of financial assets are reasonably estimated based on the assessed cash flows arising out of repayments and recovery prospects. However, in some cases, NPAs have been sold by Banks for much less than the value of available securities and no justification has been given." "Banks should, while sale of NPAs or at the time of compromise, to work out the Net Present Value of the estimated cash flows associated with the realisable value of the available securities net of the cost of realisation. The compromise amount/sale price should generally not be lower than the Net Present Value arrived at in the manner described above."<br>Due to poor/low marketability of Agricultural Land it is very difficult to sell the agriculture land for recovery. Despite vigorous efforts and persuasion the compromise amount offered by farmers is generally equal or much below the outstanding dues. When this compromise amount is compared with the Net Present Value of agriculture land mortgaged, it is much lower from that value and hence, it is practically difficult to arrive at compromise in agriculture loan accounts keeping in view the RBI guidelines.<br>Under the above circumstances the Reserve Bank of India has advised as under: "Where security is available for assessing the realisable value, proper weightage has to be given to the location, condition and marketable title, possession and availability of buyers etc." | **17. कृषि अग्रिमों में समझौता**<br>यह देखा गया है कि गिरवी रखी गई कृषि भूमि का मूल्य बकाया ऋण राशि से अधिक है इसके स्थान और स्थिति जैसे कि खंडित भूमि, क्रेता की अनुपलब्धता, एससी/एसटी किसानों की भूमि की बिक्री में बाधाएं, राजस्व अधिकारियों के सहयोग न करने और विभिन्न अन्य स्थानीय कारकों के कारण हमारी बकाया राशि की वसूली के लिए भूमि को बेचना/नीलामी करना मुश्किल है। परिसंपत्तियों की बिक्री और समझौते के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं: —<br>"यह सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए कि पुनर्भुगतान और वसूली की संभावनाओं से उत्पन्न होने वाले मूल्यांकन किए गए नकदी प्रवाह के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों के आर्थिक मूल्य का यथोचित अनुमान लगाया जाए। हालांकि, कुछ मामलों में, एनपीए बैंकों द्वारा उपलब्ध प्रतिभूतियों के मूल्य से बहुत कम में बेचे गए हैं और इसका कोई औचित्य नहीं दिया गया है।"<br>"बैंकों को, एनपीए की बिक्री करते समय या समझौते के समय, वसूली की लागत के उपलब्ध प्रतिभूतियों के वास्तविक मूल्य से जुड़े अनुमानित नकदी प्रवाह के शुद्ध वर्तमान मूल्य का पता लगाना चाहिए। समझौता राशि/बिक्री मूल्य आम तौर पर ऊपर वर्णित तरीके से प्राप्त शुद्ध वर्तमान मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।" |

Banking Section

| | |
|---|---|
| Therefore, it is advisable that the Branches consider compromise proposals in NPA agriculture loans, where mortgaged property is agriculture land as guided above. For assessing the realisable value, proper weightage has to be given to the location, condition, marketable title, possession and availability of buyers etc. Accordingly branches to advise the valuers to incorporate the above valid points while giving the present valuation of the agriculture land and the same to be incorporated in compromise proposals considering the genuine constraints.<br>The above clarification will help the Branches to some extent while considering compromises in Agriculture loan a/cs where the security is mortgage of Agricultural land. | कृषि भूमि की खराब/कम विपणन क्षमता के कारण वसूली के लिए कृषि भूमि को बेचना बहुत मुश्किल है। जोरदार प्रयासों और अनुनय के बावजूद किसानों द्वारा दी जाने वाली समझौता राशि आम तौर पर बकाया राशि के बराबर या उससे बहुत कम होती है। जब इस समझौता राशि की तुलना गिरवी रखी गई कृषि भूमि के निवल वर्तमान मूल्य से की जाती है, तो यह उस मूल्य से बहुत कम होती है और इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कृषि ऋण खातों में समझौता करना व्यावहारिक रूप से कठिन होता है।<br>उपरोक्त परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नानुसार सलाह दी है:<br>"जहां वास्तविक मूल्य का आंकलन करने के लिए प्रतिभूति उपलब्ध है, वहां उचित है कि स्थान, स्थिति और विपणन योग्य शीर्षक, खरीदारों के कब्जे और उपलब्धता आदि को महत्व दिया जाना चाहिए।"<br>इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि शाखाएं एनपीए कृषि ऋणों में समझौता प्रस्तावों पर विचार करें, जहां ऊपर बताए अनुसार गिरवी रखी गई संपत्ति कृषि भूमि है। वसूली योग्य मूल्य का आकलन करने के लिए, स्थान, स्थिति, विपणन योग्य शीर्षक, खरीदारों के कब्जे और उपलब्धता आदि को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। तदनुसार शाखाएँ मूल्यांकनकर्ताओं को कृषि भूमि का वर्तमान मूल्यांकन देते समय उपरोक्त वैध बिंदुओं को शामिल करने की सलाह देती हैं और वास्तविक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए समझौता प्रस्तावों में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।<br>उपरोक्त स्पष्टीकरण से शाखाओं को कृषि ऋण खातों में समझौते पर विचार करने में कुछ हद तक मदद मिलेगी, जहां प्रतिभूति कृषि भूमि की बंधक है। |

U.P. Cooperative Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| **18. WRITE OFF PROPOSALS**<br>When to write-off Assets<br><br>(i) Any asset which is not contributing any income to the bank or its continuation in the Balance Sheet is deemed to be undesirable may be written-off. | **18. बट्टे खाते में डालने वाले प्रस्ताव**<br>एसेट्स को कब राइट–ऑफ करना है<br>(i) कोई भी परिसंपत्ति जो बैंक में किसी भी आय का योगदान नहीं कर रही है या बैलेंस शीट में इसके जारी रहने को अवांछनीय माना जाता है, उसे बट्टे खाते में डाल दिया जा सकता है। |
| (ii) All advances accounts categorized as where 100% provision has been made and where chances of recovery are bleak and there are no securities available, will be considered for write-off. Write off will be in accordance with Section 127 of the UP Cooperative societies Act 1965 under section 127. | (iii) सभी अग्रिम खाते जो "लॉस एसेट्स" के रूप में वर्गीकृत किये गये है, जहां 100 प्रतिशत प्रावधान उपलब्ध है और जहां वसूली की संभावना धूमिल है और कोई प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है, उन्हें राइट–ऑफ किया जायेगा। राइट आफ उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 127 के अधीन होगी। |
| (iii) Similarly assets like furniture, cars, etc. which are not in existence or whose salvage value is negligible can be written-off from the books. | (iii) इसी तरह फर्नीचर, कार आदि जैसी परिसंपत्तियां जो अस्तित्व में नहीं हैं या जिनका निस्तारण मूल्य नगण्य है, उन्हें किताबों से बट्टे खाते में डाला जा सकता है। |
| (iv) Advances classified as and where CGTMSE(Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) claims have been received and where CGTMSE permission for write-off is not necessary can be written-off. This is because in such assets 100% provision for the net adjusted balance would have already been made. | (iv) एडवांस को 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जहां सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के दावे प्राप्त हुए हैं और जहां राइट–ऑफ के लिए सीजीटीएमएसई की अनुमति आवश्यक नहीं है, उन्हें बट्टे खाते में डाला जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी परिसंपत्तियों में निवल समायोजित शेष राशि के लिए 100 प्रतिशत प्रावधान पहले ही किया जा चुका होता। |
| **18 A. PRUDENTIAL WRITE OFF**<br>(i) Prudential write off is generally resorted to by the bank when the Advance account becomes Loss asset and 100% provisioning is made or the advance account has become Doubtful 3 category and is covered by 85% or more by Provision, Interest Suspense, CGTMSE (Credit Guarantee Fund Trust for Micro | **18 ए. विवेकपूर्ण बट्टे खाते में डालना**<br>(i) आमतौर पर बैंक द्वारा प्रूडेंशियल राइट ऑफ का सहारा लिया जाता है, जब एडवांस अकाउंट लॉस एसेट बन जाता है और 100: प्रावधान किया जाता है या एडवांस अकाउंट संदिग्ध 3 श्रेणी बन जाता है और |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| and Small Enterprises) claim received, amount held in suit filed Sundry Deposit account etc. (except tangible security available) in the accounts of the bank. | बैंक के खातों में प्रावधान, ब्याज सस्पेंस, सीजीटीएमएमर्स (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) प्राप्त दावा, सूट में रखी गई राशि, विविध जमा खाते आदि (उपलब्ध मूर्त सुरक्षा को छोड़कर) द्वारा 85 प्रतिशत या उससे अधिक द्वारा कवर किया जाता है। |
| (ii) A decision on PWO will always be taken by the Head office and Branch Managers shall not prudentially write off any account without express authority from the Head Office. Authority may be granted account-wise or for a class of accounts (outstanding/Sector/age of NPA etc.). Filing of suit or proceedings under Recovery Act is essential before PWO is effected unless specifically exempted by Head Office. | (ii) प्रूडेंशियल राइट आफ पर निर्णय हमेशा प्रधान कार्यालय द्वारा लिया जाएगा और शाखा प्रबंधक प्रधान कार्यालय से व्यक्त प्राधिकार के बिना किसी भी खाते को विवेकपूर्ण ढंग से बट्टे खाते में नहीं डालेंगे। प्राधिकरण को खाता–वार या खातों की श्रेणी (बकाया क्षेत्र/एनपीए की आयु आदि) के लिए दिया जा सकता है। जब तक प्रधान कार्यालय द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है, तब तक प्रूडेंशियल राइट आफ के प्रभावी होने से पहले वसूली अधिनियम के तहत मुकदमा या कार्यवाही दाखिल करना आवश्यक है। |
| (iii) Since the provisioning is made to the debit of profit and loss account, any recovery shall be credited to the profit and loss account of the bank. Recovery in a PWO account directly adds to the profit of the bank. The bank attaches great importance to recovery in PWO accounts. Even if the security available is negligent or nil, concerted follow up should be made with the proprietor /partner/directors and guarantors for recovery of dues. Proceedings at the DRT/Courts shall be vigorously followed up for realizing the bank's dues. | (iii) प्रावधान लाभ और हानि खाते को डेबिट करके किया जाता है, इसलिए किसी भी वसूली को बैंक के लाभ और हानि खाते में जमा किया जाएगा। प्रूडेंशियल राइट आफ खाते में रिकवरी सीधे बैंक के लाभ में इजाफा करती है। बैंक प्रूडेंशियल राइट आफ खातों में रिकवरी को बहुत महत्व देता है। भले ही उपलब्ध प्रतिभूति शून्य हो, बकाये की वसूली के लिए मालिक/साझेदार/निदेशकों और गारंटरों के साथ ठोस अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए डीआरटी/कोर्ट में कार्यवाही का सख्ती से पालन किया जाएगा। |
| (iv) Branches shall maintain shadow accounts of PWO advances. The Register / Ledger containing these shadow accounts should be made available to NABARD / Internal Inspecting Officers/ CA and executives at HO, who visit the branches. | (iv) शाखाएँ प्रूडेंशियल राइट आफ अग्रिमों के छाया खातों का रख रखाव करेंगी। इन शैडो खातों वाला रजिस्टर/लेजर नाबार्ड के आंतरिक निरीक्षण अधिकारियों/सीए और शाखाओं में आने वाले मुख्यालय के अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाये। |

perative Bank Ltd
Banking
Section
Luck

| | |
|---|---|
| and Small Enterprises) claim received, amount held in suit filed Sundry Deposit account etc. (except tangible security available) in the accounts of the bank. | बैंक के खातों में प्रावधान, ब्याज सस्पेंस, सीजीटीएमएमर्स (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) प्राप्त दावा, सूट में रखी गई राशि, विविध जमा खाते आदि (उपलब्ध मूर्त सुरक्षा को छोड़कर) द्वारा 85 प्रतिशत या उससे अधिक द्वारा कवर किया जाता है। |
| (ii) A decision on PWO will always be taken by the Head office and Branch Managers shall not prudentially write off any account without express authority from the Head Office. Authority may be granted account-wise or for a class of accounts (outstanding/Sector/age of NPA etc.). Filing of suit or proceedings under Recovery Act is essential before PWO is effected unless specifically exempted by Head Office. | (ii) प्रूडेंशियल राइट आफ पर निर्णय हमेशा प्रधान कार्यालय द्वारा लिया जाएगा और शाखा प्रबंधक प्रधान कार्यालय से व्यक्त प्राधिकार के बिना किसी भी खाते को विवेकपूर्ण ढंग से बट्टे खाते में नहीं डालेंगे। प्राधिकरण को खाता–वार या खातों की श्रेणी (बकाया क्षेत्र/एनपीए की आयु आदि) के लिए दिया जा सकता है। जब तक प्रधान कार्यालय द्वारा विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है, तब तक प्रूडेंशियल राइट आफ के प्रभावी होने से पहले वसूली अधिनियम के तहत मुकदमा या कार्यवाही दाखिल करना आवश्यक है। |
| (iii) Since the provisioning is made to the debit of profit and loss account, any recovery shall be credited to the profit and loss account of the bank. Recovery in a PWO account directly adds to the profit of the bank. The bank attaches great importance to recovery in PWO accounts. Even if the security available is negligent or nil, concerted follow up should be made with the proprietor /partner/directors and guarantors for recovery of dues. Proceedings at the DRT/Courts shall be vigorously followed up for realizing the bank's dues. | (iii) प्रावधान लाभ और हानि खाते को डेबिट करके किया जाता है, इसलिए किसी भी वसूली को बैंक के लाभ और हानि खाते में जमा किया जाएगा। प्रूडेंशियल राइट आफ खाते में रिकवरी सीधे बैंक के लाभ में इजाफा करती है। बैंक प्रूडेंशियल राइट आफ खातों में रिकवरी को बहुत महत्व देता है। भले ही उपलब्ध प्रतिभूति शून्य हो, बकाये की वसूली के लिए मालिक/साझेदार/निदेशकों और गारंटरों के साथ ठोस अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए। बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिए डीआरटी/कोर्ट में कार्यवाही का सख्ती से पालन किया जाएगा। |
| (iv) Branches shall maintain shadow accounts of PWO advances. The Register / Ledger containing these shadow accounts should be made available to NABARD / Internal Inspecting Officers/ CA and executives at HO, who visit the branches. | (iv) शाखाएँ प्रूडेंशियल राइट आफ अग्रिमों के छाया खातों का रख रखाव करेंगी। इन शैडो खातों वाला रजिस्टर/लेजर नाबार्ड के आंतरिक निरीक्षण अधिकारियों/सीए और शाखाओं में आने वाले मुख्यालय के अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाये। |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section

**19. FINAL WRITE OFF**

Final write off is done by the bank only in extreme circumstances when it becomes clear that there is absolutely no chance of recovery in the account. Before taking a decision on final write off, a thorough check should be made by the Branch Manager whether assets are available, what are the means of the borrower(or legal heirs) etc. Final write off can be considered by all the functionaries who have been delegated powers for compromise/write off upto the amounts specified earlier. Suits should have been filed or proceedings under Public Money Recovery Act/UP Agriculture Credit Recovery Act is initiated (unless specifically exempted by Competent Authority).

(iv) When sanction is received for write-off branches will pass the following entries and write-off the account (in respect of Advances Account).
Dr. G/L Provison for Bad & Doubtful Debt account.
Cr. loan a/c of concerned branch

(v) All expenses held to the debit of any Suspense a/c etc. should be debited to appropriate Profit & Loss a/c.

(vi) Proper Register should be maintained at branch level indicating the following:
(a) Sr. No.
(b) Date of Proposal
(c) Name of a/c
(d) Ledger Folio
(e) Segment
(f) Date of Sanction
(g) Sanctioning Authority
(h) Balance outstanding

**19. अंतिम बट्टे खाते में डालना**

बैंक द्वारा अंतिम राइट ऑफ केवल विषम परिस्थितियों में किया जाता है, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि खाते में रिकवरी की कोई संभावना नहीं है। अंतिम राइट–ऑफ पर निर्णय लेने से पहले, शाखा प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए कि संपत्ति उपलब्ध है या नहीं, उधारकर्ता के साधन क्या हैं (या कानूनी वारिस) आदि। अंतिम राइट–ऑफ पर उन सभी पदाधिकारियों द्वारा विचार किया जा सकता है जिन्हें पहले निर्दिष्ट राशि तक समझौता करने/लिखने के लिए शक्तियां सौंप दी गई हैं। मुकदमा दायर किया जाना चाहिए या सार्वजनिक धन वसूली अधिनियम/यूपी कृषि क्रेडिट रिकवरी अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए (जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दी गई हो)।

(iv) राइट–ऑफ के लिए मंजूरी मिलने पर शाखाओं को निम्नलिखित प्रविष्टियों को पास करेगीं और खाते को राइट–ऑफ करेगीं। (अग्रिम खाते के संबंध में)।
Dr. G/L Provison for Bad & Doubtful Debt account.
Cr. loan a/c of concerned branch

(v) किसी भी सस्पेंस खाते आदि के डेबिट में रखे गए सभी खर्चों को उचित लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जाना चाहिए।

(vi) शाखा स्तर पर निम्नलिखित को दर्शाने के लिए उचित रजिस्टर बनाए रखा जाना चाहिए:
(a) कम संख्या
(b) प्रस्ताव की तारीख
(c) खाते का नाम
(d) लेजर फोलियो
(e) सेगमेंट
(f) मंजूरी की तारीख

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | |
|---|---|
| (i) Cash Margin<br>(j) CGTMSE cover received<br>(k) Date and authority for write-off<br>(l) Amount written-off to P/L Bad Debt written-off a/c<br>(m) Date of write-off | (g) मंजूरी देने वाला प्राधिकारी<br>(h) बकाया राशि<br>(i) कैश मार्जिन<br>(j) सीजीटीएमएसई कवर प्राप्त हुआ<br>(k) राइट–ऑफ की तिथि एवं अधिकार<br>(l) पी एल बैड डेट के लिए बट्टे खाते में लिखी गई राशि<br>(m) राइट–ऑफ की तारीख |
| (vii) Branches will advise the Head office the exact date of write-off and the amount written-off. Follow-up and recovery of write-off Accounts | (vii) शाखाओं को प्रधान कार्यालय को राइट–ऑफ की तिथि और बट्टे खाते में डाली गई धनराशि तथा उनके फॉलो–अप और रिकबरी के बारे में प्रधान कार्यालय को सूचित करेगी। |
| (i) Writing-off of bank dues does not mean that branches will not continue to follow-up for recovery of dues existing before write-off. | (i) बैंक की बकाया राशि के बट्टे खाते में डालने का अर्थ यह नहीं है कि शाखाओं को बट्टे खाते में डालने से पहले मौजूद बकाया राशि की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई जारी नहीं रखनी चाहिए। |
| (ii) In following cases no follow-up may be necessary:<br>(a) Accounts where partial amounts have been written-off as part of a Compromise proposal sanctioned and implemented.<br>(b) Accounts where the write-off amount is so small that the cost of follow- up may be very high compared to the amount written-off. | (ii) निम्नलिखित मामलों में किसी अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होगी:<br>(a) ऐसे खाते जहां आंशिक राशि को समझौता प्रस्ताव स्वीकृत और कार्यान्वित करने के एक के हिस्से के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया हो।<br>(b) ऐसे खाते जहां राइट–ऑफ राशि इतनी कम है कि राईट ऑफ राशि की तुलना में फॉलो–अप की लागत बहुत अधिक हो सकती है। |
| (iii)In case of prudentially written-off accounts, branches will not only continue to follow-up for recovery but also pursue vigorously the suit filed in various courts. | (iv) विवेकपूर्ण तरीके से राईट ऑफ किये गए खातों के मामले में, शाखाओं को न केवल वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखनी चाहिए, बल्कि विभिन्न न्यायालयों में दायर मुकदमे को सख्ती से पैरवी करनी चाहिए। |

erative Bank Ltd.
Banking Section
Lucknow

| | |
|---|---|
| (iv)In respect of small borrower accounts writing-off of bank dues would not mean that the borrowers liability is extinguished. Write-off is only an internal accounting arrangement. Branches will , therefore, continue to follow- up vigorously for recovery of the dues. | (iv) छोटे उधारकर्ता खातों के संबंध में बैंक की बकाया राशि को बट्टे खाते में डालने का अर्थ यह नहीं होगा कि उधारकर्ता की देयता समाप्त हो गई है। राइट–ऑफ केवल एक आंतरिक लेखांकन व्यवस्था है। इसलिए, शाखाओं को बकाया राशि की वसूली के लिए सख्ती से अनुवर्ती कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। |
| (v)All recoveries made in any account written-off will be credited to P/L Recoveries in Bad Debt written-off accounts. These amount of recovery will directly add to the profit of the branch. | (v) राइट आफ खातों में की गई सभी वसूली पीएल रिकवरी में जमा की जाएंगी। वसूली की यह राशि सीधे शाखा के लाभ में इजाफा करेगी। |
| (vi) Under no circumstances should the borrower be issued a No due certificate or anything in writing regarding the write- off as it is only an internal arrangement. | (vi) किसी भी परिस्थिति में उधारकर्ता को "नो ड्यू सर्टिफिकेट" या राइट–ऑफ के संबंध में लिखित रूप में कुछ भी जारी नहीं किया जायेगा क्योंकि यह केवल एक आंतरिक व्यवस्था है। |
| **20. Cooling period**<br>1- No loan will be sanction to willful defaulters in future.<br>2- After compromise settlement if customers wants to take new loan from bank it will be sanctioned after cooling period of two years.<br>**Note :**<br>**1. If there is a difference in meaning due to language in English and Hindi Version the English version will be deemed final.**<br>**2. Whenever Branch has been mentioned please read Branch alongwith HO in policy.**<br>**3. The policy will be updated from time to time.**<br>**4. In case of any ambiguity to interpretation of policy, the decision of the H.O. shall be final.**<br>**5. On quaterly basis compromise settlement/writeoff report will be submitted before Managing director of the bank by branches/concerned department of H.O** | **20. कूलिंग अवधि**<br>1. विलफुल डिफॉल्टर्स को भविष्य में कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया जायेगा।<br>2. काम्प्रोमाईस सेटलमेण्ट के पश्चात् ग्राहक को दो वर्ष का कूलिंग पीरियड नये ऋण स्वीकृत करने हेतु होगा।<br>**नोटः–**<br>**1. यदि अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा के कारण नीति के अर्थ में कोई भिन्नता आती है तो नीति का अंग्रेजी वर्जन अन्तिम माना जायेगा।**<br>**2. पालिसी में जहॉ कहीं भी शाखा उल्लिखित है। शाखा के साथ मुख्यालय भी पढ़ा जाये।**<br>**3. इस पालिसी को समय–समय पर संशोधित किया जायेगा।**<br>**4. यदि पालिसी के अर्थ में कोई अस्पष्टता है तो उसे मुख्यालय स्तर से स्पष्ट किया जायेगा।**<br>**5. कॉम्प्रोमाईस सेटेलमेण्ट/राईटऑफ की तिमाही रिपोर्ट शाखाओं एवं सम्बन्धित मुख्यालय के अनुभागों द्वारा प्रबन्ध निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।** |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section ★ Lucknow

**APPENDIX-1**

BRANCH :

RE : COMPROMISE/WRITE OFF PROPOSAL A/C.

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Asset Classification | |
| 2. | Date of N.P.A | |
| 3. | Sector | |
| 4. | Group | |
| 5. | Date of first sanction | |
| 6. | Banking Arrangement SOLE/ CONSORTIUM/MULTIPLE | |
| 7. | Lead Bank | |
| 8. | Our Share | |
| 9. | Is the Borrower's name appearing in Willful defaulter list of RBI/ our Bank | |
| 10. | Is the account staff related/Staff guaranteed | |
| 11. | Date of filing of suit/DRT | |
| 12. | TOTAL CONTRACTUAL DUES (including interest at Contractual rate till date, Legal Expenses, Other charges, etc). | |
| 13. | TOTAL RECOVERABLE DUES (B as per Page –Table Below CALCULATION OF SACRIFICE ) | |
| 14. | TOTAL COMPROMISE AMOUNT ( E as per Page – Table Below CALCULATION OF SACRIFICE ) | |
| 15. | SACRIFICE [ 17 – 18 ] | Rs.---------- |

परिशिष्ट –1

उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0

शाखा का नाम

विषय : समझौता / राइट आफ प्रस्ताव खाते के सम्बन्ध में

| | | |
|---|---|---|
| 1. | संपत्ति का वर्गीकरण | |
| 2. | एनपीए की तिथि | |
| 3. | सेक्टर – ---- | |
| 4. | समूह | |
| 5. | ऋण स्वीकृति की तारीख | |
| 6. | बैंकिंग व्यवस्थाः सोल / कंसोर्टियम / मल्टीपल | |
| 7. | लीड बैंक | |
| 8. | हमारा हिस्सा | |
| 9. | क्या उधारकर्ता का नाम आरबीआई / हमारे बैंक की विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट में है | |
| 10. | क्या अकाउंट स्टाफ से संबंधित है या स्टाफ द्वारा गारंटी ली गयी है | |
| 11. | सूट / डीआरटी दाखिल करने की तिथि | |
| 12. | कुल संविदात्मक बकाया (आज तक की संविदात्मक दर पर ब्याज, कानूनी खर्च, अन्य शुल्क आदि सहित) | |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | | |
|---|---|---|
| | i. By way of Write Off<br>ii. By way of waiver | Rs.----------<br>Rs. ---------- |
| 16. | SECURITY :<br>Pledge of .<br>Hypothecation of | Value Rs. ----------<br>--<br>Value Rs. ----------<br>--<br>Value Rs. ----------<br>-- |
| 17. | YIELD % | |

| | Names of Proprietor/ Partners/Directors | Net Worth | Guarantors | Net Worth |
|---|---|---|---|---|
| A | | | | |
| B | | | | |
| C | | | | |
| D | | | | |
| E | | | | |
| F | | | | |
| G | | | | |
| h | | | | |

Latest net worth should be incorporated.

| | | |
|---|---|---|
| 13. | वसूली योग्य कुल बकाया राशि (ब– पेज के अनुसार कुल बलिदान की गणना के नीचे दी गई तालिका के अनुसार) | |
| 14. | कुल समझौता राशि (पृष्ठ के अनुसार कुल बलिदान की गणना के नीचे दी गई तालिका के अनुसार) | |
| 15. | बलिदान (13 – 14)<br>राइट ऑफ के माध्यम से छूट की धनराशि | |
| 16. | सिक्योरिटीः<br>प्लेज रू0 ----<br>हाइपोथेकेशन रू0 -----<br>इक्वीटेबिल मार्डगेज रु। | |
| 17. | प्रतिफल प्रतिशत | |

| | प्रोप्राइटर / पार्टनर / डायरेक्टर्स के नाम | नेट वर्थ रू0 ---- | गारंटर के नेटवर्थ | नेट वर्थ रू |
|---|---|---|---|---|
| अ– | | | | |
| ब– | | | | |
| स– | | | | |
| द– | | | | |
| य– | | | | |
| र– | | | | |
| ल– | | | | |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

**ISSUE FOR CONSIDERATION** :
To consider compromise/ write-off proposal of Mr./Mrs./M/s.

by accepting Rs. With----------
total sacrifice of Rs.---------- (Rs. by way of write off and Rs.----------

by way of waiver) in full and final settlement.

**BACKGROUND** :
DETAILS OF LOAN ACCOUNTS WITH OUR BANK : (Rupees, as on .....)

| FUND BASED | Limit | outstanding |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL | | |
| NON-FUND BASED | | |
| GURAD TOTAL | | |

DETAILS OF SECURITY WITH VALUE AND DATE OF VALUATION :

| Nature of security | Value Rs. | Date of valuation | Name of valuer | Whether Bank approved |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| व– | | | | |
|---|---|---|---|---|

नवीनतम निवल संपत्ति को शामिल किया जाना चाहिए।

**विचारार्थ मुद्दा:**
श्री / श्रीमती .....
के समझौता / राइट–ऑफ प्रस्ताव पर विचार करने के लिए के लिए रु..... स्वीकार करके रु..... का कुल बलिदान बट्टे खाते में डालने के माध्यम से और रु..... छूट के माध्यम से पूर्ण और अंतिम सेटलमेंट किया गया।

**बैक ग्राउंड:**
बकाया ऋण की सीमा फंड आधारित

| फंड आधारित | लिमिट | बकाया |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| योग | | |
| नांन फंड आधारित | | |
| कुल योग | | |

प्रतिभूतियों का विवरण एवं उनका बैल्यूयेशन

बैल्यूयेशन की तिथि

| प्रतिभूति का प्रकार | मूल्य | बैल्यूयेशन की तिथि | बैल्यूवर का नाम | बैंक एप्रूब्ड |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Luck...

**CALCULATION OF SACRIFICE:**

| | AMOUNT | | AMOUNT |
|---|---|---|---|
| RECOVERABLE DUES | | AMOUNT AVAILABLE FOR APPROPRIATION | |
| A) Balance as on | | 1. Amount Offered | |
| Less: Amtount held in De Recognized Interest. | | 2. amount of loanee in any account other than deposit i.e. sundry account | |
| NET BOOK DUES (A) | | 3. As per court order any Fees deposited by loanee | |
| | | 4.Fixed/Short Deposit with interest payable | |
| B) Add : Unapplied Interest @ 10% p.a. simple from_____to_____[B1] | | 5.CGTSME Claim Received (net of refund ) | |
| Add : Legal Charges/Other Expenses | | TOTAL OFFER AMOUNT [C] | |

बलिदान / त्याग की गणना:

| | धनराशि | | धनराशि |
|---|---|---|---|
| वसूली योग्य बकाया (अ) | | विनियोग के लिए उपलब्ध राशि | |
| (क) अद्यतन बकाया | | 1. पेशकश की गई राशि | |
| घटायें: डिरिकग्नाइज्ड ब्याज | | 2. ऋणी की कोई धनराशि जो जमा खातों को छोड़कर किसी अन्य खाते में हो, जैसे सन्ड्री आदि | |
| कुल बकाया | | 3. कोर्ट के आदेशों के कम में ऋणी द्वारा जमा किया गया शुल्क | |
| | | 4:–फिक्स डिपोजिट वर्तमान मूल्य | |
| जोडें: 10प्रतिशत साधारण व्याज की दर से नामें की जाने वाली धनराशि दिनांक.....से | | 5:–सी.जी.टी.एस.एम. म.ए प्राप्त दावा राशि (लौटायी राशि के बाद अवशेष राशि) | |

Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | | | |
|---|---|---|---|
| incurred [B2] | | | |
| | | 6. Add : Notional interest simple on (2, 3 & 5) above from date of receipt till date of appropriation to NPA A/c [D] | |
| TOTAL RECOVERABLE DUES (B) | | TOTAL COMPROMISE AMT. [E] | |

**SACRIFICE Amount :**

1. By way of Write-off - towards balance in the account [A – C] : +/- Rs.__________
2. By way of Waiver of Interest [B1 – D] : +/- Rs.__________
Add : Legal charges/Expenses [B2] : Rs.__________
TOTAL SACRIFICE [B – E ] : Rs.__________
NET EFFECT ON P/L ACCOUNT : Rs.__________
Provision held as on __________ : Rs.__________
Less: Proposed write-off / Add:Recovery in Excess of book dues : Rs.__________
NET EFFECT [DEBIT/CREDIT] : Rs.__________
CGTMSE Claim filed for Rs. __________ on : __________
Received Rs.__________ on __________
In case the claim is not received :
Details of follow up made :
If rejected – Reason/s:
NOTICE UNDER SECURITISATION ACT 2002 ISSUED ON :
STEPS TAKEN AFTER ISSUING NOTICE :

| | | | |
|---|---|---|---|
| .................. तक(बी–1) | | | |
| जोंडे कानूनी एवं अन्य व्यय(बी –2) | | (ग) कुल ऑफर राशि | |
| | | 6:–जोडें: नोशनल ब्याज (2, 3 एवं 5) | |
| कुल वसूली योग्य धनराशि(बी) | | कुल समझौते की धनराशि(ई) | |

**बलिदान की धनराशि :**

1। राइट–ऑफ के माध्यम से – खाते में शेष राशि (अ–ग) रु–––
2। ब्याज की छूट के माध्यम से (बी1–डी) रु ––––––––––
जोड़ें: कानूनी शुल्क/अन्य व्यय (बी–2) रु ––––––––––––
कुल बलिदान (बी–ई) रु ––––––––––––––
लाभ हानि खाते पर निवल प्रभाव: रु ––––––––––
उपलब्ध प्राविधान: रु ––––––––––––––
घटायें : प्रस्तावित राइट–ऑफ रू0 –––––––––––
जोड़े : बही की बकाया राशि से अधिक की वसूली: रु –––––––
निवल प्रभाव (डेबिट/क्रेडिट) रु –––––––––––
सीजीटीएमएसई के किये गये दावे रुपये ––––––––––––– में से रू0 –––––––––– प्राप्त हुए
दावा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में:

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lu...

SUIT FILED : Date for Rs. Name of the Advocate:
DECREED : Date for Rs.
If not decreed – Date of last hearing:

POSITION OF ACCOUNT WITH OTHER BANKS/FIs, IF ANY

| Name of Bank/FI | Outstanding as on | Whether Su Filed/DRT/Compromise |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

किए गए फॉलो–अप का विवरण:————————
यदि अस्वीकृत किया जाता है कारण:————————
प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 के तहत जारी नोटिस:————————
नोटिस जारी करने के बाद उठाए गए कदम:————————
मुकदमा दायर किया गया: रु. ————
मुकदमा दायर किये जाने की तिथि तिथि :————————
एडवोकेट का नाम:————————————————
डिक्री की तिथि ———— एवं रु. ————
डिक्री न होने की स्थिति में पिछली सुनवाई की तिथि :————
अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थानों में खाते की स्थिति, यदि कोई हो बकाया

| बैंक एवं वित्तीय संस्थान का नाम | तिथि ————को बकाया | दायर मुकदमे की स्थिति डीआरटी / समझौता |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**भुगतान का स्रोत और तरीका:**
(किश्तों की संख्या और अवधि के मामले में)
सहयोगी / समूह संबंधी चिंताएं और बैंकिंग व्यवस्था:

| नाम | सम्बन्धित बैंक शाखा का नाम | सम्पत्ति का वर्ग |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**SOURCE AND MODE OF PAYMENT:**
(In case of installments, number of installments and period)
ASSOCIATE/GROUP CONCERNS AND BANKING ARRANGEMENT:

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| Name of concern | Name of Concern Bank With Branch | Asset Class |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**FRAUD RELATED CERTIFICATE :**
Certified that no fraud has been detected/reported in the account so far
OR The following fraud has been committed in the account.

Branch Manager

**धोखाधड़ी से संबंधित प्रमाण पत्र:**
प्रमाणित किया गया है कि खाते में अब तक किसी भी धोखाधड़ी का पता नहीं लगा है/रिपोर्ट नहीं किया गया है या खाते में निम्नलिखित धोखाधड़ी की गई है।

शाखा प्रबन्धक

**APPENDIX II**
**JUSTIFICATION AND RECOMMENDATIONS OF SETTLEMENT ADVISORY COMMITTEE (BRANCH/Head Offcie as the Case may be) :**

**CALCULATION OF YIELD**
**I Demand/Term Loans.**
(a) Amount originally sanctioned (Principal) : Rs.
Date on which it was sanctioned :
(b) Total recoveries made in the account in the past : Rs.
(c) Amount now offered : Rs.

**परिशिष्ट –2**
**निपटान सलाहकार समिति का औचित्य और सिफारिशें (जैसा भी मामला हो शाखा/मुख्यालय):**
**प्रतिफल की गणना**
**1. डिमांड/टर्म लोन।**
(क) मूल रूप से स्वीकृत राशि एवं तिथि
(मूलधन):रु————————
(ख) पूर्व में खाते में की गई कुल वसूली: रु————————

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

(d) Excess over Principal amount (b+c-a) ; Rs.
(e) Yield on principal =
100 X Excess over Principal (d) / Principal (a) X No. of Yrs. *= %
*Period from date of sanction to date of settlement of account.

**II. Cash Credit/ OD Account.**
(a) Balance O/s. as on the date of Cessation of Interest (Principal) : Rs.
(b) Recoveries after Cessation of interest : Rs
(c) Amount now offered : Rs
(d) Excess recovery over Principal (b+c-a) :Rs
(e) Yield on Principal = 100 X d/ Principal(a)XNo.ofYrs.* : %
* Period from "Cessation of interest" to date of settlement of account.

(ग) आफर की जाने वाली राशिः रु----------
(घ) मूल राशि से आधिक्य (ख+ग–क) रु----------
(म) मूलधन पर प्रतिफल –
100Xमूलराशि से आधिक्य(घ) / मूलधन(क) x वर्षो की संख्या *---
*'स्वीकृति की तारीख से खाते के निपटान की तारीख तक की अवधि--------

**2. कैश क्रेडिट / ओवर ड्राफ्ट अकाउंट।**
(क) ब्याज समाप्ति की तिथि के अनुसार शेष राशि (मूलधन): रु
(ख) ब्याज लगने की तिथि के बाद वसूलीः रु---------
(ब) आफर की जाने वाली राशिः रु----------
(क) मूल राशि से आधिक्य से अधिक वसूलीः रु---------
(म) मूलधन पर प्रतिफल = 100xमूलराशि से आधिक्य(घ) / मूलधन(क) x वर्षो की संख्या *---
* "ब्याज की समाप्ति" की तारीख से लेकर खाते के निपटान की तारीख तक की अवधि।

**APPENDIX III**
**MOVEMENT CHART**

| Sr. No. | Stage | Date |
|---|---|---|
| 1 | Compromise Offer received from the borrower (Date of receipt of letter) | |
| 2 | Proposal forwarded to Central Office (after negotiation, if any)<br>(*) Reasons for delay, if any. | |
| 3 | Queries/additional information received/requested By<br><br>Central Office (if any) | |

परिशिष्ट–3
मूवमेंट चार्ट

| कम संख्या | स्टेज | डेट |
|---|---|---|
| 1 | उधारकर्ता से प्राप्त समझौता प्रस्ताव (पत्र प्राप्त होने की तिथि) | |
| 2 | मुख्यालय को भेजा गया प्रस्ताव (बातचीत के बाद, यदि कोई हो | |

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

| | | |
|---|---|---|
| | (Date of receipt of letter/E-mail) | |
| 4 | Reply to the (3) above (if any) (Date of reply letter/ Fax/E- mail) | |

Note :

(*) In case of proposal is forwarded after two weeks or more from the date of receipt of the offer from
the borrower, reasons therefor should be stated.

| | | |
|---|---|---|
| 3 | विलंब के कारण, यदि कोई हो। पत्र को कवर करने की तिथि<br>केंद्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त/अनुरोधित प्रश्न/अतिरिक्त जानकारी (यदि कोई हो) (पत्र/ई–मेल प्राप्त होने की तिथि | |
| 4 | उपरोक्त (3) का उत्तर दें (यदि कोई हो) (उत्तर पत्र/फैक्स/ई–मेल की तिथि) | |

ध्यान दें:
यदि उधारकर्ता से प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह या उससे अधिक समय के बाद अग्रेषित किया जाता है, तो इसके कारणों के बारे में बताया जाना चाहिए।

**APPENDIX – IV**
DRAFT LETTER
(* WITHOUT PREJUDICE TO SUIT MATTER )
To,
---

**Re: Your Loan Account with us**
We refer to the various credit facilities availed by you from our branch. Your account has been treated as a Non- Performing Asset in terms of the Income Recognition and Asset Classification Norms of Reserve Bank of India, which are presently in force. Reserve Bank of India has issued guidelines for settlement of all accounts, which were treated as NPA as on . With a view to enable you to avail of this opportunity to settle your dues with us, we request you to call on

**परिशिष्ट 4**
ड्राफ्ट लेटर (मुकदमों के मामले में बिना किसी पूर्वाग्रह के)

सेवा में, श्री/श्रीमती/मै0
_____
_____

**विषय : आपके लोन अकाउंट के सम्बन्ध में**

हम अपनी शाखा से आपके द्वारा प्राप्त विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का उल्लेख करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार, जो वर्तमान में लागू

U.P. Cooperative Bank Ltd. Banking Section Lucknow

us on any working day during office hours to discuss and finalize the amount to be paid by you to the bank towards settlement of the dues.

Since the scheme will be in force only for a short period, we advise you to call on us at an early date and submit your proposal for settlement as early as possible but in any case not later than ______________ .

**Yours faithfully,**

**BRANCH MANAGER**

* Applicable only in case of Suit Filed/ Decreed accounts.

**Compliance Certificate for Compromise Proposals**

| | |
|---|---|
| Name of Account | |
| Account No. | |
| Branch | |
| Head Office | |

This is to CERTIFY that the extant RBI guidelines have been complied while considering captioned compromise proposal for recommendation/sanction.

हैं, आपके खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति माना गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन सभी खातों के निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें एनपीए के रूप में माना गया है। हमारे साथ अपनी बकाया राशि का निपटान करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर हमें कॉल करके बकाया राशि के निपटान के लिए बैंक को भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में चर्चा करें और उसे अंतिम रूप दें।

चूंकि यह योजना केवल एक छोटी अवधि के लिए लागू है, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि जल्द से जल्द हमसे संपर्क करें और जितनी जल्दी हो सके निपटान के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें, लेकिन किसी भी स्थिति में दिनांक ———— के बाद प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय

शाखा प्रबन्धक

* केवल मुकदमा दर्ज/डिक्री खातों के मामले में लागू।

**समझौता प्रस्तावों के लिए अनुपालन प्रमाणपत्र**

| | |
|---|---|
| खातेदार का नाम | |
| खाते की संख्या | |
| शाखा का नाम | |
| हेड ऑफिस | |

| | |
|---|---|
| Place:<br>Date:<br><br>**Branch Manager** | यह प्रमाणित करने के लिए है कि अनुशंसा/मंजूरी के लिए समझौता प्रस्ताव पर विचार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।<br><br>स्थान :<br>तारीख:<br><br>शाखा प्रबंधक के हस्ताक्षर |

22.2.24

(आर0के0 कुलश्रेष्ठ)

प्रबन्ध निदेशक

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
3. उप महाप्रबन्धक (आईडीडी) इस निर्देश के साथ कि उक्त योजना को प्रदेश स्थित समस्त जिला सहकारी बैंकों में लागू करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।
4. महाप्रबन्धक (आई0टी0) को इस निर्देश के साथ कि उक्त पालिसी को बैंक की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
5. समस्त महाप्रबन्धक/विभाग प्रभारी, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, मुख्यालय, लखनऊ।
6. निदेशक, कृषि सहकारी स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, 472 रिंग रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. स्टाफ आफिसर–अध्यक्ष प्रकोष्ठ को अध्यक्ष महोदय, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 के अवलोकनार्थ।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
9. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।

22.2.24

प्रबन्ध निदेशक